कानपुर नगर निगम

नगर निगम (मा0सदन) की दिनांक 01.08.2018

दिन बुधवार को पूर्वान्ह 11.00 बजे

सम्पन्न हुई सदन की बैठक का कार्यवृत्त

स्थानः नगर निगम सभागार, मोतीझील, कानपुर

कार्यालय सचिव
नगर निगम,कानपुर

पत्र संख्या :–डी/124/सचिव (न0नि0)/2018–19

दिनांक :– 28/08/2018

सेवा में,

मा0 श्री/श्रीमती/सुश्री.....

पार्षद वार्ड सं0...../पदेन सदस्य

महोदय/महोदया,

नगर निगम मा0 सदन की दिनांक 01.08.2018 दिन बुधवार को सम्पन्न हुई, बैठक का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :–

कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 01 से 52 तक।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

प्रतिलिपि :–

1.नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2.अपर नगर आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) महोदय को सूचनार्थ।
3.समस्त विभागाध्यक्ष/विभागीय अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

दिनांक–01.08.2018 दिन बुद्धवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे नगर निगम मुख्यालय, मोतीझील स्थित सभागार में सम्पन्न हुई सदन की बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति

1.	श्रीमती प्रमिला पाण्डेय	महापौर / अध्यक्ष	
2.	श्री रमेश चन्द्र	पार्षद / सदस्य	
3.	श्री शैलेश	पार्षद / सदस्य	
4.	श्री शरद कुमार सोनकर	पार्षद / सदस्य	
5.	कु0 लक्ष्मी	पार्षद / सदस्य	
6.	श्रीमती रीता पासवान	पार्षद / सदस्य	
7.	श्रीमती मोहिनी कनौजिया	पार्षद / सदस्य	
8.	श्री गिरीश चन्द्र	पार्षद / सदस्य	
9.	श्री संदीप	पार्षद / सदस्य	
10.	श्रीमती आरती गौतम	पार्षद / सदस्य	
11.	श्री अवनीश खन्ना	पार्षद / सदस्य	
12.	श्री अजीत	पार्षद / सदस्य	
13.	श्री मदन बाबू	पार्षद / सदस्य	
14.	श्री सुनील कुमार कनौजिया	पार्षद / सदस्य	
15.	श्री सौरभ देव	पार्षद / सदस्य	
16.	श्री राकेश कुमार	पार्षद / सदस्य	
17.	श्रीमती रचना त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य	
18.	श्री प्रदीप मिश्रा	पार्षद / सदस्य	
19.	श्रीमती राधा देवी	पार्षद / सदस्य	
20.	श्रीमती मधु मिश्रा	पार्षद / सदस्य	
21.	श्रीमती शीला पाण्डेय	पार्षद / सदस्य	
22.	श्री संजय यादव	पार्षद / सदस्य	
23.	श्री गोपाल गुप्ता	पार्षद / सदस्य	
24.	श्रीमती कविता सिंह	पार्षद / सदस्य	
25.	श्रीमती विजय लक्ष्मी	पार्षद / सदस्य	
26.	श्रीमती निर्मला मिश्रा	पार्षद / सदस्य	
27.	श्रीमती मोहिनी शुक्ला	पार्षद / सदस्य	
28.	श्री शरद प्रकाश मिश्रा	पार्षद / सदस्य	
29.	श्रीमती ऊषा मिश्रा	पार्षद / सदस्य	
30.	श्रीमती रीता कुशवाहा	पार्षद / सदस्य	
31.	श्री रमेश बाजपेई	पार्षद / सदस्य	
32.	श्री घनश्याम गुप्ता	पार्षद / सदस्य	
33.	कु0 विधि राजपाल	पार्षद / सदस्य	
34.	श्रीमती अंजू मिश्रा	पार्षद / सदस्य	
35.	श्री अशोक पाल	पार्षद / सदस्य	
36.	श्रीमती नमिता मिश्रा	पार्षद / सदस्य	
37.	श्री मुकेश	पार्षद / सदस्य	
38.	श्री मनोज कुमार राठौर	पार्षद / सदस्य	
39.	श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू'	पार्षद / सदस्य	
40.	श्री राज कुमार राजपूत	पार्षद / सदस्य	
41.	कु0 कीर्ति अग्निहोत्री	पार्षद / सदस्य	
42.	श्रीमती नेहा यादव	पार्षद / सदस्य	

ह0.....महापौर

43. श्री अर्पित यादव	पार्षद / सदस्य
44. श्री दिनेश तिवारी	पार्षद / सदस्य
45. श्री अश्वनी कुमार चढ्ढा	पार्षद / सदस्य
46. श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला	पार्षद / सदस्य
47. श्रीमती नीतू मिश्रा	पार्षद / सदस्य
48. श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
49. श्री विजय यादव	पार्षद / सदस्य
50. श्री अनिल वर्मा	पार्षद / सदस्य
51. श्री नूर आलम	पार्षद / सदस्य
52. श्रीमती सोनी सिंह	पार्षद / सदस्य
53. श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
54. श्री मो0 आमिर खान	पार्षद / सदस्य
55. श्री जितेन्द्र	पार्षद / सदस्य
56. श्री कमल शुक्ल 'बेबी'	पार्षद / सदस्य
57. श्री सौरभ तिवारी	पार्षद / सदस्य
58. श्री दुर्गा प्रसाद	पार्षद / सदस्य
59. श्री नीरज बाजपेई	पार्षद / सदस्य
60. श्रीमती यशोदा देवी	पार्षद / सदस्य
61. श्रीमती दीपा	पार्षद / सदस्य
62. श्रीमती शकुन्तला देवी	पार्षद / सदस्य
63. श्री अरविन्द यादव	पार्षद / सदस्य
64. श्रीमती चन्द्रावती	पार्षद / सदस्य
65. श्री लियाकत अली	पार्षद / सदस्य
66. श्री जय प्रकाश पाल	पार्षद / सदस्य
67. श्रीमती शाहिबा परवीन	पार्षद / सदस्य
68. श्री राजीव सेतीया	पार्षद / सदस्य
69. श्री मनोज कुमार पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
70. श्री अमित कुमार मेहरोत्रा	पार्षद / सदस्य
71. श्री यशपाल सिंह	पार्षद / सदस्य
72. श्री विकास जायसवाल	पार्षद / सदस्य
73. श्री हरि शंकर गुप्ता	पार्षद / सदस्य
74. श्रीमती शशी साहू	पार्षद / सदस्य
75. श्री सन्तोष साहू	पार्षद / सदस्य
76. श्री रशीद आरफी	पार्षद / सदस्य
77. श्रीमती अल्पना जायसवाल	पार्षद / सदस्य
78. श्री अमनदीप सिंह गम्भीर	पार्षद / सदस्य
79. श्रीमती सुमन त्रिवेदी	पार्षद / सदस्य
80. श्रीमती मेनका सिंह सेंगर	पार्षद / सदस्य
81. श्री अनूप कुमार शुक्ला	पार्षद / सदस्य
82. श्री गुरू नारायण गुप्ता	पार्षद / सदस्य
83. श्री राघवेन्द्र मिश्रा	पार्षद / सदस्य
84. श्री प्रमोद जायसवाल	पार्षद / सदस्य
85. श्री नवीन पण्डित	पार्षद / सदस्य
86. श्री आमोद त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
87. श्री प्रशान्त शुक्ला	पार्षद / सदस्य
88. श्रीमती जरीना खातून	पार्षद / सदस्य
89. श्री मो0 अमीम	पार्षद / सदस्य
90. श्री दीपक शर्मा	पार्षद / सदस्य
91. श्री कौसर अली	पार्षद / सदस्य
92. श्री योगेन्द्र सिंह	पार्षद / सदस्य

93. श्री अभिषेक गुप्ता	पार्षद / सदस्य
94. श्रीमती शाहीन खातून	पार्षद / सदस्य
95. श्री अनुज गुप्ता	पार्षद / सदस्य
96. श्री मोहम्मद आरिफ	पार्षद / सदस्य
97. श्री शिवम दीक्षित	पार्षद / सदस्य
98. श्री राशिद महमूद	पार्षद / सदस्य
99. श्री हाजी सुहेल अहमद	पार्षद / सदस्य
100. श्रीमती शबनम बानों	पार्षद / सदस्य
101. श्री महेश त्रिवेदी	मा0 विधायक / पदेन सदस्य
102. श्री अमिताभ बाजपेयी	मा0 विधायक / पदेन सदस्य

अधिकारीगण

1. श्री संतोष कुमार शर्मा	नगर आयुक्त
2. श्री अमृतलाल बिन्द	अपर नगर आयुक्त 'प्रथम'
3. श्री अरविन्द राय	अपर नगर आयुक्त 'द्वितीय'
4. श्री रमेश कुमार निरंजन	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
5. श्री मनीष कुमार सिंह	मुख्य अभियन्ता 'सिविल'
6. डॉ0 पंकज श्रीवास्तव	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
7. डॉ0 अमित सिंह गौर	नगर स्वास्थ्य अधिकारी 'चि0'
8. श्री संजय सिन्हा	महाप्रबन्धक 'जलकल'
9. श्री ए0के0त्रिवेदी	वित्त अधिकारी 'जलकल'
10. श्री हंसराज	परि0प्रब0,गंगाप्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम

राष्ट्रीयगीत (वंदे मातरम्) गायन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष ने सर्वप्रथम मैं, अध्यक्ष प्रमिला पाण्डेय, सदन की बैठक में अपने सभी आये हुये पदेन सदस्य (मा0विधायक) एवं सदस्य (पार्षदगण) के साथ ही पत्रकार एवं छायाकार बन्धुओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ तथा नगर निगम अधिकारियों से शहर के विकास के लिये अपना सहयोग देने की अपेक्षा करती हूँ। चूँकि हम सभी शहर का विकास चाहते है इसलिये सबका साथ सबका विकास का ध्यान रखते हुये कानपुर नगर के समस्त वार्डो की आवश्यकताओं / प्राथमिकताओं का ध्यान रखते हुये यथा सम्भव धन की उपलब्धता पर शहर का सम्पूर्ण विकास भी कराया जायेगा। इसी के साथ नगर आयुक्त को एजेण्डानुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

नगर आयुक्त ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये सदन सभागार में उपस्थित सभी मा0 सदस्यों का स्वागत करते हुये अपर नगर आयुक्त 'प्रथम' को बिन्दुवार एजेण्डा से सदन के सदस्यों को अवगत कराते हुये तद्नुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि, अध्यक्ष महोदया नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 91 (2) के तहत मेरे द्वारा आपकों व नगर आयुक्त को पत्र दिया गया, परन्तु उस पर विचार नही किया गया, जबकि एजेण्डा में कोई भी प्रस्ताव जनसमस्याओं से सम्बन्धित नही है।

नगर आयुक्त ने श्री नवीन पण्डित उपसभापति,मा0 कार्यकारिणी समिति, को वित्तीय वर्ष 2018–19 के नगर निगम मूल बजट को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया । तद्नुक्रम में निम्नवत् बजट प्रस्तुत किया गया :–

प्रस्ताव संख्या–01

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 24.03.2018 की स्थगित बैठक जो दिनांक 29.03.2108 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 01 जो मा0 सदन को विचारार्थ हेतु अग्रसारित है :–

नगर निगम कानपुर

आय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक आय 2016–2017	पुनरीक्षित धनराशि 2017–18	वास्तविक आय जनवरी 2018 तक	प्रस्तावित धनराशि 2018–2019
	Revenue Income		राजस्व आय	–				
1101	Tax Revenue	1101	करो से आय	3	10181.26	14501.50	9101.30	15501.50
1201	Assigned Revenues & Compensations	1201	कर्तव्यों के आधीन आय	3	2.74	4.00	0.57	4.00
1301	Rental Income from Properties	1301	नगरीय सम्पत्तियों के किराये से आय	3	124.50	145.50	93.36	170.50

1401	Fees & User Charges	1401	शुल्को से आय	3.4	752.70	1619.00	945.68	1469.00
1501	Sale & Hire Charges	1501	बिक्री एवं भाडे से आय	5	50.06	217.00	118.68	227.00
1701	Income from Investments	1701	विनियोगो से आय	5	91.66	6.00	0.00	6.00
1801	Income from Interest	1801	ब्याज से आय	5	743.63	405.00	383.95	405.00
1901	Other Income	1901	अन्य आय	5	129.22	112.10	215.54	272.10
1601	Revenue Grants & Contribution	1601	राजस्व अनुदान एवं अंशदान	6	29667.94	31077.00	21850.21	31177.00
	TOTAL -(A)		योग (अ)	6	**41743.70**	**48087.10**	**32709.29**	**49232.10**
	Capital Income		पूँजीगत आय	–				
3111	Earmarked Funds	3111	कार्य विशेष निधियाँ	–				
3111	Finance Commission: Thirteenth	3111	वित्त आयोग : तेरहवाँ	6	9413.66	11100.00	8273.62	13100.00
3111	Special Fund: Infrastructure Fund:	3111	अवस्थापना निधि	6	3006.98	4050.00	2080.67	4050.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियाँ	6.7	878.28	14466.50	12226.52	13835.50
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	7	0.00	4.00	0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	7	0.00	81.00	0.00	3.00
	TOTAL -B-		योग (ब)	7	**13298.93**	**29701.50**	**22580.81**	**30992.50**
	TOTAL (A+B)		योग (अ+ब)	7	**55042.63**	**77788.60**	**55290.10**	**80224.60**
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड					

ह0.....महापौर

			(जे0एन0एन0यू0आर0एम0 / अमृत)					
3311	Unsecured Loans	3311	राज्य सरकार परिकमि निधि ऋण (रिवालविगं फण)	7	4648.73	5200.00	0.00	5200.00
3111	JNNURM Scheme	3111	जे.एन.एन.यू.आर.एम / अमृत योजना प्राप्तियाँ	7.8	2378.81	37331.60	392.58	37331.60
	TOTAL -C-		योग (स)	8	**7027.54**	**42531.60**	**392.58**	**42531.60**
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Income (A+B+C)		कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड आय (अ+ब+स)	8	**62070.17**	**120320.20**	**55682.68**	**122756.20**
4502	Opening Balance	4502	प्रारम्भिक अवशेषः–	8	32715.89	22508.30	29005.34	22508.30
	Grand Total		महायोग	8	**94786.06**	**142828.50**	**84688.02**	**145264.50**

व्यय

(धनराशि लाख में)

Account Code	**Account Head**	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक व्यय 2016–2017	पुनरीक्षित धनराशि 2017–18	वास्तविक व्यय जनवरी 2018 तक	प्रस्तावित धनराशि 2018–2019
	Revenue Expenses		राजस्व व्यय	–				
2101	Establishment Expenses	2101	अधिष्ठान व्यय	9	32358.48	38280.00	29431.56	40380.00
2201	Administrative Expenses	2201	प्रशासनिक व्यय	9.10	1205.45	2369.00	707.61	1897.00

ह0.....महापौर

2301	Operation & Maintenance	2301	अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण	10.11	14976.99	10871.00	6059.25	10521.00
2401	Interest & Financial Charge	2401	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	12	453.07	458.00	0.72	458.00
4101	Fixed Assets	4101	स्थाई सम्पत्तियाँ	12.13	761.88	1340.00	204.71	1340.00
	TOTAL -D-		योग (द)	13	**49755.88**	**53318.00**	**36403.85**	**54596.00**
	Capital expenses		पूँजीगत व्यय					
3111	Earmarked Fund	3111	कार्य विशेष निधियाँ	–				
3111	Finance Commission	3111	वित्त आयोग	14	4765.16	16500.00	3757.18	16500.00
3111	Infrastructure Fund	3111	अवस्थापना निधि	14	3587.74	4000.00	1795.61	4000.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियाँ	14	259.04	15167.50	11120.25	15131.50
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	15	0.00	4.00	0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	15	0.00	32.00	0.00	32.00
	Total -E-		योग (य)	15	**8611.94**	**35703.50**	**16673.04**	**35667.50**
	Total -(D+E)		योग (द+य)	**15**	**58367.82**	**89021.50**	**53076.90**	**90263.50**
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे0एन0एन0यू0आर0एम0 / अमृत)					
3112	ULB Share transfer (JNNURM)	3112	निकाय अंश हस्तान्तरण	15	0.00	5200.00	0.00	5200.00
4604	JNNURM Scheme Advance	4604	जे.एन.एन.यू.आर.एम / अमृत योजना अग्रिम	15	4841.93	37361.60	23.25	37331.60
	TOTAL -F-		योग (र)	**15**	**4841.93**	**42561.60**	**23.25**	**42531.60**

ह0.....महापौर

	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Expenses (D+E+F)		कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय (द+य+र)	**15**	**63209.75**	**131583.10**	**53100.15**	**132795.10**
3401	Less :- Outstanding dues / Suspenses	3401	घटायें :– देयतायें/उचन्त खाते	16	-2787.09	0.00	87.36	0.00
	Net Revenue & Capital Expenses		शुद्व राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय	**16**	**65996.84**	**131583.10**	**53012.79**	**132795.10**
4502	Closing Balance	4502	अन्तिम अवशेष :–	16	28789.22	11245.40	31675.23	12469.40
	Grand Total		महायोग	**16**	**94786.06**	**142828.50**	**84688.02**	**145264.50**

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि बजट में जनवरी, 2018 तक की आय दर्शायी गयी है, जबकि इधर (फरवरी–मार्च, 18) की धनराशि का कोई उल्लेख नही है। दो माह की आय से सदन के सदस्यों को अवगत कराया जाये। आय के श्रोत घटने के बावजूद भी बजट पिछले वित्तीय वर्ष की अपेक्षा अधिक बनाया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के सापेक्ष आय–व्यय में विषमता है, केवल आँकड़ों की बाजीगरी है। कहीं ऐसा तो नही कि वास्तविकता कुछ हो और दिखाया कुछ और जा रहा है।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने सदस्यों को अवगत कराया कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 146 में विहित नियमों के तहत नगर आयुक्त 10 दिसम्बर अथवा 10 जनवरी को या उसके पश्चात् यथाशीघ्र पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के लिये आय–व्यय के तखमीने तैयार कराते हुये कार्यकारिणी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने को प्राविधानित किया गया है। तद्नुपालन में ही माह जनवरी तक के आँकड़े दर्शाये जाते है, जिसे सदन के माध्यम से 01 मार्च से पूर्व अन्तिम रूप से अंगीकृत कर प्रतियाँ राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना होता है। नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 151 के तहत बजट की आय–व्यय के तखमीने (आँकड़ें) विशेष परिस्थितियों में बदल व परिवर्तित कर सकती है, जिसे पुनरीक्षित बजट के माध्यम से माह सितम्बर में कार्यकारिणी समिति/सदन से स्वीकृत कराना भी विहित है। फिर भी यदि कोई सदस्य आय/व्यय की धनराशि की जानकारी चाहता है तो उसे अलग से अवगत करा दिया जायेगा।

हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि नगर निगम की आय/व्यय की धनराशि से सदन के सदस्यों को अवगत करायें न कि अलग से किसी एक सदस्य को।

श्री कमल शुक्ल 'बेबी' ने कहा कि बजट में खर्चा ज्यादा आमदनी कम। शहर में क्या हो रहा है, इसकी चिंता नही की गई। क्या इस बजट में सदस्यों के लिये विकास कार्यो हेतु कोई प्राविधान है ? सभी पार्षद सदस्यों उनके वार्ड में विकास कार्य कराये जाने हेतु 50–50 लाख की धनराशि आवंटित की जाये, जिससे वह अपने वार्ड का विकास कार्य करा सके। सभी मा0 सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को भत्ता

मिलता है किन्तु पार्षद को नही। सभी सदस्यों को रू0 10 हजार का भत्ता दिये जाने हेतु बजट में प्राविधान किया जाये तभी इसे पास माना जायेगा, क्योंकि कैन्ट में भी पार्षदों को रू0 08–10 हजार भत्ता मिलता है।

श्री महेन्द्र शुक्ल 'दद्दा' ने मा0 अध्यक्ष महोदय, नगर आयुक्त जी, सदन सभागार में उपस्थित सभी पार्षद भाईयों बहनों एवं छायाकार बन्धुओं के प्रति आभार प्रकट करते हुये कहा कि नगर निगम अधिनियम–1959 में यह व्यवस्था है कि नगर निगम अपने संसाधनों से पार्षदों को भत्ता दे सकता है। सभी पार्षदों को भत्ता व मोबाइल मिलना चाहियें, क्योंकि पूर्व मेयर माननीय सरला सिंह के समय में पार्षदों को मोबाइल दिया गया था। पिछले 4–5 दिनों से कानपुर, लखनऊ व आस–पास के जिलों में पानी बरस रहा है। नालों की सफाई ठीक प्रकार से न होने के कारण शहर में कई स्थानों पर भीषण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसे अध्यक्ष महोदया व नगर आयुक्त द्वारा संज्ञान लेते हुये स्थल पर जाकर स्थिति सामान्य बनाने का जो प्रयास किया गया उसके लिये मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि नगर निगम अपने खर्चो में कटौती करे और पार्षदों को भत्ता दिलाया जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि मैं अधिकारियों से इस सम्बन्ध में बात करूँगी और नगर निगम अधिनियम 1959 की व्यवस्था के तहत आपकी मंशा व से शासन को अवगत कराऊँगी और निश्चित तौर से इस सम्बन्ध में शासन को पत्र लिखूँगी।

श्री जयप्रकाश पाल ने कहा कि अध्यक्ष महोदया आप विकास की बात करती है, पिछले दिनों से चल रही बारिश में जगह–जगह जलभराव की स्थिति है, पूरे शहर के नाले उफना रहे है। नालों की सफाई ठीक प्रकार से कराई जाये ताकि नालों में उनकी क्षमतानुसार पानी की निकासी हो सके। सभी पार्षदों के लिये बजट में वार्ड में त्वरित/आवश्यक कार्य कराये जाने हेतु त्वरित बजट दिया जाये ताकि अपने वार्ड में जरूरत अनुसार पार्षद कार्य करा सके।

श्री प्रमोद जायसवाल ने कहा कि नगर निगम की आय बढ़ाने हेतु महानगर में प्राइवेट कम्पनियों द्वारा लगाये जा रहे टावरों, नये पार्किंग स्थलों, फुटपाथ पर लगे जनरेटरों, केबिल ऑपरेटरों आदि पर यूजर चार्ज लगाते हुये उनसे वसूली सुनिश्चित की जाये और उससे प्राप्त होने वाली धनराशि से पार्षदों को भत्ता दिया जाये।

अध्यक्ष ने दिये गये आय वृद्धि के सुझाव के प्रति धन्यवाद् दिया।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय बजट में अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण हेतु की प्रस्तावित धनराशि से सभी पार्षदों को रू0 50–50 लाख का कोटा आवंटित कर दिया जाये, जिससे वह अपने क्षेत्र में आवश्यकतानुसार विकास कार्य करा सके, क्योंकि विकास कार्यो की आगणित कुल धनराशि से 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 पहले ही आरक्षित कर दी जाती है।

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को इस समबन्ध में सदन के सदस्यों अवगत कराने हेतु निर्देशित किया।

नगर आयुक्त ने कहा कि मा0 पार्षदगणों ने बजट के सम्बन्ध में अपनी–अपनी बात कही है और वह सही भी है। वर्ष 2016–17 की जो आय की धनराशि है वह रू0 286 करोड़ है और व्यय रू0 320 करोड़ हुआ है। वर्ष 2017–18 की आय रू0 278 करोड़ है व्यय रू0 307 करोड़ है। इसमें सामन्जस्य स्थापित करना या इसे व्यवस्थित करना हमारे लिये सबसे बड़ी चुनौती है। हमें अपनी आय बढ़ाने पर ध्यान देना है, जब हम आय बढ़ायेंगे तभी खर्चे भी बढ़ा पायेंगे। मा0 अध्यक्ष महोदय और मेरे द्वारा रू0 10–10 लाख की धनराशि पूर्व में और रू0 10–10 लाख की धनराशि वर्तमान में प्रत्येक पार्षद को वार्ड में कार्य कराये जाने हेतु आवंटित किया गया है, इसप्रकार सभी पार्षदों को वर्ष में 20–20 लाख रूपये विकास कार्य कराये जाने हेतु दिये जा चुके है। मैं आपकों यह आश्वस्त करता हूँ कि आप सभी अपने सुझावों से नगर निगम की आय बढ़वायेंगे तद्नुसार आपके वार्ड में विकास कार्य हेतु धनराशि आवंटित की जायेगी।

श्री कमल शुक्ल 'बेबी' ने कहा कि नगर आयुक्त महोदय आपका पहला सदन है, हम सभी आय वृद्धि हेतु सुझाव देंगे। सर्वप्रथम शहर के भवन, जो कर की परिधि से बाहर है, उन्हें कराच्छादित करने हेतु अधिकारियों को सख्ती से निर्देशित किया जाये। इसी के सापेक्ष रू0 50–50 लाख प्रत्येक पार्षदों के वार्ड में विकास के कार्य कराये जाने हेतु बजट में प्राविधान किया जाये।

श्री जितेन्द्र गाँधी ने कहा कि कार्यकारिणी समिति की बैठक में सभी पार्षदों को सी0यू0जी0 नम्बर दिये जाने तथा प्रत्येक वार्ड में निरीक्षण कराकर क्रियाघर बनवाये जाने का प्रस्ताव पास किया गया था, तद्नुसार सी0यू0जी0 सिम दिया जाये तथा आवश्यकतानुसार एवं स्थल की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक वार्ड में क्रियाघर का निर्माण कराया जाये।

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को इस पर शीघ्र विचार करने हेतु निर्देशित किया।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि नगर निगम द्वारा भवनों का अभी जो सर्वे कराया गया है, जो अभी भी चल रहा है। उसमें 25000 नई सम्पत्तियाँ सामने आयी है, जबकि अभी भी एक–दो लाख भवन नगर निगम की कर की परिधि से बाहर है। इन छूटे हुये भवनों/सम्पत्तियों का शीघ्र कर निर्धारण कराते हुये उनसे नगर निगम राजस्व की वसूली सुनिश्चित करायी जाये। नगर निगम द्वारा भेजी जा रही नोटिसों में रूपये 05 लाख की नोटिस, जिसमें एक माह का समय निर्धारित कर उपस्थित न होने पर कर निर्धारित करने, को उल्लिखित किया जाता है, परन्तु भवन स्वामी के आने पर उसे किस प्रकार रूपया तीस हजार कर दिया जाता है। हमारे यहाँ अभी भी भवनों का सर्वे चल रहा है, जबकि पूर्व में जी0आई0एस0 सर्वे कराया जा चुका, तो इसकी वैधता क्या है ? यदि यह सर्वे वैध नही था तो सर्वे कम्पनी को भुगतान किस आधार पर किया गया था ? नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत व्यवस्था है कि नगर निगम भवन स्वामी व अध्यासी दोनों से ही गृहकर की वसूली कर सकता है, तो अर्रा–बिनगवां, सनिगवां, मछरिया आदि स्थानों पर खेती की जमीन को खरीद कर उनमें मकान बनवाकर नगर निगम की सुविधाओं का लाभ ले रहे लोगो से गृहकर की वसूली क्यों नही की जा रही है ? शहर की जनता जो पहले से ही गृहकर अदा कर रही है, उसे नगर निगम द्वारा गृहकर बढ़ोत्तरी की नोटिस भेजी जा रही है। अधिकारी, कर्मचारी एवं दलाल की भूमिका को दिखवाया जाये। यह एक बड़ा बिन्दु है, जो हमारी आय पर प्रभाव डाल रहा है। अध्यक्ष महोदय अभी पूर्ववर्ती जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना में डाली जा रही दो लाइनो की रोड कटिंग का लगभग 37–38

लाख रूपया नगर निगम में जमा कराया था। मेरे क्षेत्र में वर्तमान में केस्को और एक अन्य कम्पनी द्वारा लाइनें डाली जा रही है और नगर निगम उनसे रोड कटिंग की कोई वसूली नही कर रहा है। महानगर में विभिन्न कम्पनियों द्वारा की जा रही रोड कटिंग को नगर निगम द्वारा गम्भीरतापूर्वक लेते हुये उनसें रोड कटिंग की शत–प्रतिशत वसूलयाबी सुनिश्चित की जाये, जिससे नगर निगम आय में बढ़ोत्तरी हो सके।

श्री मो0 अमीम ने कहा कि सदन सभागार में लगा साउण्ड सिस्टम काफी पुराना है, किसी अच्छी कम्पनी को बुलाकर यहाँ का साउण्ड सिस्टम ठीक कराया जाये ताकि सभी के वक्तव्य को सुना जा सके। केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की योजना हम सब तक क्यों नही पहुँच रही है। नमामि गंगे द्वारा क्षेत्र में कार्य कराने के बाद भी जलभराव की स्थिति किस कारण उत्पन्न हो रही है ? लाईटे अभी तक क्यों नही लगी है, इसकी क्या वजह है ? क्षेत्रीय जनता सांसद व विधायक के पास नही जाती है, सीधे पार्षद के पास आती है, अध्यक्ष महोदया आप दो बार पार्षद रह चुकी है आप हमारी स्थिति से भली–भाँति परिचित है।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि पहले एजेण्डे पर चर्चा हो, उसके उपरान्त अन्य विषयों पर चर्चा कराई जाये। आदरणीय अध्यक्ष महोदया आपसे विनम्र आग्रह है कि यदि किसी को एजेण्डे से अलग कोई चर्चा करनी है तो उसके लिये अलग से समय आवंटित किया जाये। जबसे हमारा यह कार्यकाल शुरू हुआ है समाचार पत्रों व अधिकारियों के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि नगर निगम निधि में पैसा न होने के कारण विकास कार्य नही कराये जा सकते है। इस सम्बन्ध में आयवृद्धि के कुछ सुझाव है उन पर कार्यवाही करने का कष्ट करें :–

1. कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत गृहकर से छूटे हुये भवनों को कर की परिधि में लाया जाये।
2. नगर निगम में मलिन बस्तियों व झुग्गी–झोपड़ियों में रहने वाले लोगो से पूर्व में मलवा मालिक बनाकर उनसे गृहकर लिया जाता था, जो व्यवस्था वर्तमान में बन्द कर दी गई है, जबकि मलिन बस्तियों व जुग्गी–झोपड़ियों में रहने वाले लोगो गृहकर देना चाहते है। अतः यदि नियम आड़े न आये तो पूर्व की व्यवस्था को लागू करते हुये गृहकर की वसूली की जाये।
3. कानपुर महानगर के अन्तर्गत नगर निगम की खाली पड़ी जमीनों को शॉप/मॉल अथवा मार्केट के रूप में व्यवसायिक रूप से विकसित कर उससे आय बढ़ाई जाये।
4. टी0वी0 (डिस्क) केबिल आपरेटरों पर यूजर चार्ज लगाया जाये।
5. प्राइवेट कम्पनियों द्वारा नगर निगम सीमान्तर्गत सड़कों की खुदाई करके अपनी कम्पनियों के केबिल डालकर लाखों–करोड़ो रूपये की कमाई की जा रही है और नगर निगम को कुछ नही मिल रहा है, उनसे भी नगर निगम प्रति मीटर की दर से वसूली सुनिश्चित करें।
6. प्राइवेट कम्पनियों द्वारा नगर निगम सीमान्तर्गत चौराहों पर लगाये गये टावरों एवं जगह–जगह फुटपाथों पर स्थापित जनरेटरों पर सदन में नियम बनाते हुये किराया सुनिश्चित किया जाये और उनसे किराये की वसूली की जाये।
7. नगर निगम द्वारा गन्दगी फैलाने वाले व्यक्तियों/चट्टा संचालकों पर जो चालान किया जाता है वह बहुत कम धनराशि का होने के कारण लोगो पर उसका कोई प्रभाव नही पड़ता है। अन्त में सदन के द्वारा जुर्माने की धनराशि बढ़ाने का सुझाव देते हुये धन्यवाद् ज्ञापित किया।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि शहर में जगह–जगह जलराव है। अतः कल का समय निर्धारित कर आप और नगर आयुक्त द्वारा शहर में भ्रमण किया जाये। इस समय नगर निगम में होर्डिंग घोटाला चल रहा है, इसकी भी जाँच कराते हुये अवैध होर्डिंग्स को हटवाया जाये।

अपर नगर आयुक्त 'प्रथम' ने होर्डिंग के सम्बन्ध में अवगत कराते हुये बताया कि नगर निगम सीमा में लगी अवैध होर्डिंग्स हटाने हेतु एक सेन्ट्रलाइज टीम श्री अरूण चौधरी के निर्देशन में बनाई गई है, वह पिछले तीन–चार दिनों से कार्य कर रही है।

श्री अमिताभ बाजपेई ने कहा कि होर्डिंग्स की संख्या बताने से घोटाले का पता नही चलता। नगर निगम द्वारा होर्डिंग्स लगाने के लिये स्वीकृत स्थल के विपरीत मनचाहे स्थल पर लगाया जाता है। कहीं–कहीं एक साइड विज्ञापन की अनुमति लेकर दोनो साइड विज्ञापन किया जा रहा है तथा विज्ञापन लगाने के साइज में भी अनियमितता की जा रही है। इसे दिखवा कर अवैध होर्डिंग्स की स्थिति से अवगत कराया जाये।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि क्या नगर निगम के अन्दर होर्डिंग्स लगाने की कोई नियमावली है या नही, यदि नही तो होर्डिंग्स की वसूली किस आधार पर की जा रही है ? अवगत कराया जाये। क्योंकि मेरे संज्ञान में आया है कि प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त है।

श्री गिरीश चन्द्रा ने कहा कि होर्डिंग्स के सम्बन्ध में क्षेत्रीय पार्षद को सम्मिलित करते हुये एक कमेटी बना दी जाये और एजेण्डानुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ कराई जाये।

सुश्री कीर्ति अग्निहोत्री ने कहा कि 'अंधेरा बहुत है सूरज निकलना चाहिये, पार्षद भाईयों/बहनों को जनता के लिये संघर्ष करना चाहिये'। कानपुर की जनता ने हम सबको जिता कर यहाँ सदन में भेजा है। आज कानपुर की जनता जलभराव से परेशान है। नालों की सफाई नही कराई गई है और जिनकी सफाई कराई गई है उनकी सिल्ट को वही छोड़ दिया गया, जो बाद में बहकर उसी में चली गई। आज शहर में पेयजल की समस्या है। जल ही जीवन है, इसे ध्यान में रखते हुये हैण्डपम्प लगवाये जाये, खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत कराई जाये ताकि शहर की जनता को दूषित पानी पीने को मजबूर न होना पड़े।

श्री राघवेन्द्र मिश्र ने श्री कमल शुक्ल 'बेबी' के कथन पर सहमति व्यक्त करते हुये प्रत्येक वार्ड में रू0 50 लाख की धनराशि से विकास कार्य कराये जाने हेतु बजट में प्राविधान करने की बात कही। चूँकि पिछले सदन की बैठक में जो रू0 10–10 लाख के प्रस्ताव माँगे गये थे, परन्तु आज तक वह धरातल पर नही दिखे, अतः चौदहवाँ वित्त आयोग एवं अवस्थापना निधि के अन्तर्गत पार्षदों की संस्तुति के कार्यो को कराये जाने हेतु सदन के माध्यम से मण्डलायुक्त महोदय को पत्र प्रेषित किया जाये। शासनादेश का हवाला देकर प्राइवेट सोसाइटी क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा कार्य नही कराया जाता, जबकि अविकसित क्षेत्र से निर्वाचित पार्षद अपनी व्यथा दर्शाया करते है।

अध्यक्ष ने सदन के सदस्यों को अवगत कराया कि शासन द्वारा अभी धनराशि आने वाली है, उस धनराशि से सभी पार्षदों को क्षेत्र में विकास कार्य कराये जाने हेतु रू0 15–15 लाख की धनराशि आवंटित की जायेगी।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि श्रीमान् नगर आयुक्त जी हमारे पार्षद साथी ने अभी अपने दर्द को बयां किया है, वह सभी पार्षदों का है। शासन द्वारा सोसाइटी क्षेत्रों में कार्य कराये जाने पर शासन द्वारा रोक है, वहाँ पर किस आधार पर कार्य कराये जा रहे है।

..... सर्वसम्मति से नगर निगम के मूल बजट 2018–19 के आय पक्ष में दर्शायी गयी धनराशि रू0 122756.20 लाख एवं प्रारम्भिक अवशेष की धनराशि रू0 22508.30 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 145264.50 लाख तथा व्यय पक्ष में दर्शायी गयी धनराशि रू0 132795.10 लाख एवं अन्तिम अवशेष की धनराशि रू0 12469.40 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 145264.50 लाख को स्वीकृति प्रदान की गई।

नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त 'प्रथम' को जलकल विभाग के बजट से मा0 सदस्यों को अवगत कराने हेतु कहा, जिस पर अपर नगर आयुक्त द्वारा महाप्रबन्धक 'जलकल' निम्नवत् प्रस्तुत किये गये बजट को पढ़ते हुये सदन के सदस्यों को अवगत कराया :–

प्रस्ताव संख्या–**02**

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 24.03.2018 की स्थगित बैठक जो दिनांक 29.03.2108 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 02 जो मा0 सदन को विचारार्थ हेतु अग्रसारित है :–

वित्तीय वर्ष 2018–19 का प्रस्तावित वार्षिक बजट जलकल विभाग का प्रस्तुत है। बजट में राजस्व आय रू0 121.10 करोड़ का प्राविधान किया गया है, जो विगत वर्ष के प्राविधान रू0 117.60 करोड़ के विरूद्ध है। माह दिसम्बर, 2017 तक राजस्व आय रू0 55.18 करोड़ हुई है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 संचालन व्यय के अन्तर्गत जिसमें अधिष्ठान, विद्युत व्यय, रख–रखाव एवं अन्य व्यय सम्मलित है में रू0 159.45 करोड़ का प्राविधान किया गया है, जो विगत वर्ष रू0 152.85 करोड़ के विपरीत है। संचालन व्यय में अधिकतम व्यय अधिष्ठान मद में है शेष मदों को सम्भावित राजस्व आय की सीमा में सीमित किया गया है।

असंचालन आय में विद्युत देयों का स्वजनित राजस्व से भुगतान न हो पाने के कारण विद्युत एवं अन्य मद हेतु धनराशि शासकीय अनुदान मद में रू0 36.00 करोड़ प्राविधानित की गई है एवं व्यय में रू0 5.68 करोड़ का प्राविधान इस दृष्टि से किया गया है, कि किसी आकस्मिक स्थिति में आवश्यक सेवाओं में गतिरोध उत्पन्न न हो। स्वीकृत बजट सीमा में राजस्व आय के अनुपात में ही राजस्व व्यय का उपयोग जोनल स्तर पर अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा आहरण वितरण अधिकारी के रूप में किया जायेगा।

जलकल विभाग नगर निगम कानपुर

प्रस्तावित वार्षिक बजट वर्ष 2018–19

ह0.....महापौर

(रू0 लाख में)

लेखा कोड	कम सं0	मद विवरण	वास्तविक आय 2016–17	प्रस्तावित आय 2017–18	वास्तविक आय दिसम्बर, 2017	प्रस्तावित आय 2018–19
	अ–	राजस्व आय –				
1100201		जलकर	5604.69	6530.00	3602.23	6700.00
1501011		अतिरिक्त जलमूल्य / न्यूनतम प्रभार	1687.39	2200.00	760.00	2260.00
1100301		सीवर कर एवं न्यूनतम प्रभार	2062.55	2840.00	1054.35	2970.00
1408002		अन्य प्राप्तियॉ	22.32	45.00	12.14	30.00
1408001		अधिभार	1.97	10.00	2.81	10.00
1401502		नियमितीकरण	4.44	15.00	8.49	20.00
1401401		विकास शुल्क	71.94	120.00	77.95	120.00
		योग राजस्व –	**9455.30**	**11760.00**	**5517.97**	**12110.00**
	ब–	असंचालन आय–				
3111301		डिपाजिट कार्य	1557.24	500.00	379.95	500.00
3112301		अनुदान (विद्युत एवं अन्य)	-	3600.00	-	3600.00
		कुल आय–	**11012.54**	**15860.00**	**5897.92**	**16210.00**
3311001	स–	ऋण से प्राप्ति	-	-	-	-
		योग–(अ+ब+स)	**11012.54**	**15860.00**	**5897.92**	**16210.00**
		प्रारम्भिक अवशेष	4387.46	2668.00	4225.76	2675.00
		महायोग –	**15400.00**	**18528.00**	**10123.68**	**18885.00**

ह0.....महापौर

(रू0 लाख में)

लेखा कोड	कम सं0	मद विवरण	वास्तविक व्यय 2016–17	प्रस्तावित व्यय 2017–18	वास्तविक व्यय दिसम्बर, 2017	प्रस्तावित व्यय 2018–19
	अ–	संचालन व्यय –				
2101001	1	अधिष्ठान व्यय	7589.15	10340.00	6660.12	10835.00
2302001	2	विद्युत एवं ऊर्जा	295.71	3000.00	5.44	3000.00
2303004	3	पूर्तियॉ	312.60	520.00	269.62	600.00
2308007	4	अन्य व्यय	45.86	70.00	28.09	75.00
2305006	5	रख–रखाव व्यय	901.89	1105.00	525.97	1185.00
2208003	6	जनरल टैक्स	343.54	250.00	0.00	250.00
		योग संचालन व्यय –	**9488.75**	**15285.00**	**7489.24**	**15945.00**
	ब–	असंचालन व्यय –				
4104007	1	जल मापक यन्त्रों का क्रय	-	2.00	-	2.00
4106001	2	मशीनों तथा यन्त्रों का क्रय	-	20.00	-	20.00
4107001	3	फर्नीचर तथा कम्प्यूटर क्रय	0.64	10.00	-	10.00
4105001	4	वाहन, ट्रैक्टर, टैंकर क्रय	-	0.00	-	0.00

4102001	5	भवन निर्माण एवं भूमि	-	10.00	-	10.00
4107006	6	आकस्मिक पूंजीगत व्यय	0.60	6.00	-	6.00
4103101	7	नई नलिकायें बिछाना (जल/सीवर)	-	10.00	-	10.00
4103201	8	ट्यूबवेल/पम्प हाउस	-	0.00	-	0.00
4104003	9	नये पम्पिंग/मोटर पम्प सेट का क्रय	-	10.00	-	10.00
3311001	10	ऋण एवं व्याज का भुगतान	-	0.00	-	0.00
3111301	11	डिपाजिट कार्य का भुगतान	1684.25	500.00	1650.14	500.00
		योग असंचालन व्यय –	**1685.49**	**568.00**	**1650.14**	**568.00**
		कुल योग (अ ब) व्यय	11174.24	15853.00	9139.38	16513.00
		अन्तिम अवशेष	4225.76	2675.00	984.30	2372.00
		महायोग	**15400.00**	**18528.00**	**10123.68**	**18885.00**

श्री हाजी सुहेल ने कहा कि नगर निगम में गृहकर वार्षिक मूल्यांकन का 15 प्रतिशत होता है जबकि जलकल में वार्षिक मूल्य का 16.50 प्रतिशत जलकर व सीवर कर वसूला जाता है, फिर भी जलकल का बजट नगर निगम के बजट की अपेक्षा इतना कम क्यों है ?

महाप्रबन्धक 'जलकल' ने कहा कि जलकल विभाग द्वारा महानगर में जहाँ–जहाँ भी जल व सीवर की सेवायें दी जाती है, वहाँ से ही जलकर व सीवर कर की वसूली की जाती है, जबकि नगर निगम के पास गृहकर के अन्यत्र भी कई आय के श्रोत है।

श्री हाजी सुहेल ने कहा कि सदन के सदस्यों को यह अवगत कराया जाये कि महानगर में कितने क्षेत्र ऐसे है, जहाँ जल की लाईनें नही है। दोनो के बजटों के बीच इतना बड़ा अन्तर एक सोचनीय विषय है। महानगर में पीने के पानी की किल्लत के बावजूद न तो नये हैण्डपम्प लग पा रहे है और न ही खराब हैण्डपम्प की मरम्मत कराई जा रही है। जगह–जगह मेनहोल खुले पड़े है, जिससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित होने की सम्भावनयें बनी हुई है। कल मेरे क्षेत्र में एक बच्चे की खुले मेनहोल में गिरकर मृत्यु हो गयी। अतः महानगर में खुले मेनहोलो पर तत्काल ढक्कन लगवाये जाने की कार्यवाही कराये।

ह0.....महापौर

श्री मनोज कुमार राठौर ने कहा कि मेरे वार्ड ट्रान्सपोर्ट नगर में प्राइवेट कम्पनियों द्वारा चेम्बरों के अन्दर से केबिल लाइन निकाल दी गई है, जिसकी शिकायत मैने क्षेत्रीय अभियन्ता से भी की थी, किन्तु उस पर आज तक कोई कार्यवाही नही की गई है। चेम्बरों में तार होने के कारण उनकी सफाई नही हो पा रही है।

श्री शरद प्रकाश मिश्र ने अध्यक्ष महोदया को अवगत कराया कि विगत कई दिनों से मेरे वार्ड में सीवर की समस्या है, उसके समाधान हेतु एक दिन क्षेत्रीय जनता ने मुझे सीवर के गंदे पानी में आठ घण्टे खड़ा रखा। जलकल विभाग से कहने पर भी अनसुनी की जाती रही। पिछले दिनों हुई बरसात में सीवर भराव की स्थिति उत्पन्न होने पर जब मेरे द्वारा महाप्रबन्धक, जलकल व जोन के अधिशाषी अभियन्ता से सम्पर्क किया गया तो, उन्होने मुझसे कहा कि इस समय हम कार्य नही करा सकते है। मेरे क्षेत्र की जनता दिन–रात मुझे घेरकर समस्या का निदान न करा पाने के कारण अपशब्दों का प्रयोग करती है, आज भी वहाँ पर सीवर का पानी भरा है। मेरे द्वारा कई बार सम्बन्धित अधिकारियों को दूरभाष पर फोन किया गया, किन्तु अधिकारियों ने फोन नही उठाया। अतः अधिकारियों द्वारा पार्षदों के साथ इस प्रकार की कार्य प्रणाली अपनाना निन्दनीय है और इसकी शीघ्र जाँच कराकर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही कराई जाये। क्षेत्र के कुछ भवन स्वामियों व अपने खुद के कार्यालय के जलकर/सीवरकर के बिल को दिखाते हुये, उनकी त्रुटियाँ ठीक कराये जाने हेतु मेरे द्वारा कई बार अधिकारियों से अनुरोध किया गया किन्तु उनके द्वारा इस पर कोई सुनवाई नही की जा रही है। महोदया जब क्षेत्रीय पार्षद स्वयं के कार्यालय का बिल संशोधित नही करा सकता है तो जनता का क्या हाल होगा।

अधिशाषी अभियन्ता जलकल ने बताया कि जनता द्वारा नालियों में पन्नी व बड़ी–बड़ी पॉलीथीन बहा दी जाती है, जिससे नालियों में जल निकासी का रास्ता अवरूद्ध हो जाने के कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है।

नगर आयुक्त ने सन्दर्भित पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु अपर नगर आयुक्त को निर्देशित किया, जिस पर अपर नगर आयुक्त 'प्रथम' ने बताया कि सीवर भराव की सूचना प्राप्त होते ही स्थल पर मैं तत्काल पहुँचा और वहाँ देखा कि वास्तव में जनता ने पार्षद को सीवर के पानी में खड़ा कर रखा था। संज्ञान में आया कि पॉलीथिन की वजह से सीवर चोक हुआ, जिसकी सफाई जेटिंग मशीन से कराई गई, परन्तु अत्यधिक चोकिंग के कारण पूर्णतः सफाई नही हो सकी।

अध्यक्ष ने कहा कि मैं अपने सदन को सर्वोच्च मानती हूँ। मेरे पार्षदों के साथ यदि अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है, तो यह शर्मनाक है। कोई भी पार्षद हो, उसके कहने पर अधिकारी द्वारा फोन नही उठाया जाता अथवा समस्या का समाधान नही किया जाता, तो ऐसे अधिकारियों को सदन के माध्यम से निलम्बित करने की कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री कैलाश पाण्डेय ने जलकल व जल निगम के जोन–2 के अधिशाषी अभियन्ताओं को कार्य के प्रति लापरवाह एवं उदासीन होने के कारण तत्काल प्रभाव से हटाया जाये, साथ ही 20 मेनहोल चेम्बर ध्वस्त है मेरे कई बार कहने के बावजूद ठीक नही कराये जा रहे है।

श्री महेन्द्र पाण्डय 'पप्पू' ने कहा कि पार्षदों की बात के साथ–साथ अधिकारियों की बात को भी सुन लिया जाये और यदि उनकी बात जायज हो तो मान ली जाये।

श्री गिरीश चन्द्रा ने कहा कि यदि कानपुर महानगर में पार्षद अपमानित होते है तो वह जलकल के कारण होते है। जलकल विभाग के कर्मचारी वृद्ध है और कार्य करने में सक्षम नही है और जो कर्मचारी सक्षम है वह कार्य करना ही नही चाहते। माननीय अध्यक्ष महोदया इसकी भी जाँच कराकर कार्यवाही की जाये।

श्री प्रमोद जायसवाल ने कहा कि शहर में जगह–जगह मेनहोल टूटे है, सीवर जाम है, जलकल विभाग निष्क्रीय है।

श्री अनुज गुप्त ने कहा कि मेरे वार्ड में जलकल विभाग को जलकर दिया जाता है, परन्तु जलकल विभाग द्वारा जनता को सीवर का पानी पीने हेतु मजबूर किया जा रहा है।

श्री सौरभ देव ने कहा कि डेढ़ माह पूर्व एक बच्चा मेनहोल में गिर गया था, इससे स्वतः स्पष्ट है कि जलकल/जल निगम के अधिकारी कार्य ही नही करना चाहते है।

श्री रशीद आरफी ने कहा कि अध्यक्ष महोदया आज हम नगर निगम व जलकल विभाग के आय संसाधन बढ़ाने पर विचार कर रहे है। हमारे वार्ड में नमामि गंगे का कार्य चल रहा है, वह ठीक है किन्तु नमामि गंगे के कार्य में भ्रष्टाचार है, इनके द्वारा जलकल विभाग के मेनहोलो पर पूर्व से लगे पचासों लाख रूपये के ढक्कन उठा कर ले गये, एक ढक्कन का वजन लगभग 250 ग्राम का होता है, उसका कुछ पता नही। चूँकि इस कार्य की कार्यदायी संस्था नगर निगम है और यदि हम इस कार्य को जलकल विभाग से कराते तो इस प्रकार की अनियमिततायें न होती। नमामि गंगे द्वारा कार्यो में किये गये इस प्रकार के भ्रष्टाचारों की जाँच कराकर, उनसे पूर्व में मेनहोलों पर लगे ढक्कनों को वापस लिया जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि इसकी जाँच कराई जाये, यदि नमामि गंगे का कार्य कर रही संस्था द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही की गई है तो नगर आयुक्त को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में लगे मेनहोलो के ढक्कनों को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में प्राथमिकता पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

श्री महेश त्रिवेदी, मा0 विधायक ने अध्यक्ष महोदया, पदेन सदस्य, सदस्य पार्षद बन्धु एवं पत्रकार व छायाकार बन्धुओं के प्रति यथोचित सम्मान व्यक्त करते हुये कहा कि नगर निगम सदन की बैठक सतत् विकास की व्यवस्था हेतु आहूत की गई है। तत्क्रम में कहना चाहता हूँ कि किदवई नगर विधान सभा क्षेत्र, जिसमें शहर के दक्षिण की अविकसित बस्तियाँ भी आती है, में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराई जाये। वर्षा ऋतु में जलभराव की भयावह स्थिति है, सी0ओ0डी0 नाला व हलुआ खेड़ा होते हुये दोनो प्रमुख नालों की माध्यम से जल निकासी होती है। सी0ओ0डी0 नाले की गहराई कम होने तथा सही ढंग से नाले की सफाई न होने से जलभराव की स्थिति बनती है। अतः सी0ओ0डी0 नाले को गहरा कराते हुये पक्का बना दिया जाये। किदवई नगर थाने के पास तथा अन्य नालों के अतिक्रमण तत्काल हटवा दिये जाये, ताकि नालों की समुचित सफाई हो सके और जलभराव की स्थिति से बचा जा सके। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तथा माननीय मुख्यमंत्री योगी जी दोनो का ही विकास का एजेण्डा है। अतः केवल कागजों पर विकास कार्य न रहे, उनको धरातल पर भी दिखना चाहिये। कार्ययोजना बनाकर तद्नुसार कार्य भी होना चाहिये। जगह–जगह गैस पाइप लाइन पड़ रही है, जिससे सड़कों की खुदाई कर दी जाती है परन्तु सड़के मोटरेबुल नही की जाती हैं। नगर निगम अधिकारियों को सुझाव है कि कर्म कर निरन्तर प्रगति मार्ग पर आगे बढ़ें। जीवन की वास्तविकता से अवगत होना है तो झोपड़ पट्टियों में जाकर देखा जाये, उनमें

निवास कर रहे लोगों की कैसी जीवनशैली है। वहाँ पर हम और आप एक रात नहीं गुजार सकते। इसलिये क्षेत्र की आवश्यकता/प्राथमिकता के दृष्टिगत विकास कार्य कराये जाये।

श्री अमिताभ बाजपेई, मा0 विधायक ने कहा कि जनता समझती है कि दोषी हम है और हम समझते है कि दोषी नगर निगम है। हम समझते है कि चौकीदार हम है और जनता की समस्याओं को देखना हमारा काम है। पूर्व में जो अधिकारी नगर निगम में रहे उन्होंने धरातल पर कोई कार्य नही किया, जिस कारण आज कानपुर महानगर की यह स्थिति है। कानपुर महानगर वह क्षेत्र है जो सबसे अधिक राजस्व आपको भी देता है और उत्तर प्रदेश सरकार को भी। अध्यक्ष महोदया नमामि गंगे विश्व की महानतम् योजना है किन्तु नमामि गंगे वालों की जलकल से बात नही होती और जल निगम जलकल से बात नही करता। विभागों का आपस में सामन्जस्य न होने के कारण यह पता नही चलता की जिस सड़क को बनवाने का प्रस्ताव हम पास करा रहे है, उस पर सभी विभागों द्वारा अवस्थापना सम्बन्धी समस्त कार्य कराये जा चुके है अथवा नही। दुष्परिणाम यह होता है कि सड़क बनने के बाद पुनः खोद दी जाती है, जिससे यातायात बाधित होता है। जबसे कानपुर महानगर में मार्गप्रकाश की व्यवस्था ई.ई.एस.एल. को दी गई है, तबसे महानगर में मार्गप्रकाश की व्यवस्था खराब हो गई है। स्थिति यह है कि यदि हमारे घर की एल.ई.डी. लाईट खराब हो जाये तो उसे भी हम ठीक नही करा सकते। हम लोगों को एक भी लाईट नही दी जा रही है, जिससे की क्षेत्र में आवश्यकता पड़ने पर उन्हें लगवाया जा सके। कानपुर महानगर में स्वच्छ भारत मिशन योजना के अन्तर्गत ऐसे शौचालय बने है, जिन पर ताले लगे है, शौचालय तो है, पर शौच नही कर सकते क्योंकि शौचालय स्वयं सफाई माँग रहे है। यूरीनल की मरम्मत नही करा सकते, किन्तु नये शौचालय बनवा सकते है। नगर निगम के पास महानगर में घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़ने की कोई कार्ययोजना नही है, जिसके कारण जनता का सड़कों पर निकलना दूभर है। चौदहवें वित्त आयोग व अवस्थापना निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो में सिर्फ सत्तादल के सांसदों व विधायकों के कार्य लिये जाते है। शासन द्वारा विकास कार्यो के लगाये जाने वाले शिलालेखों पर सम्बन्धित क्षेत्र के मा0 विधायक का नाम अंकित करने की व्यवस्था दी गई है किन्तु मेरे विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम द्वारा कराये गये विकास कार्यो के एक भी शिलालेख पर मेरा नाम अंकित नही किया गया है।

श्री अर्पित यादव ने कहा कि कोई भी कार्य नही हो रहे है, चारो तरफ जलभराव है, अधिकारी सुन नही रहे है। जोन–03 का सम्पवेल खराब है, इसे ठीक कराते हुये शहर अन्य खराब सम्पवेल भी ठीक कराये जाये।

..... सर्वसम्मति से जलकल विभाग के मूल बजट 2018–19 के आय पक्ष में दर्शायी गयी धनराशि रू0 16210.00 लाख, प्रारम्भिक अवशेष धनराशि रू0 2675.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 18885.00 तथा व्यय पक्ष में दर्शायी गयी धनराशि रू0 16513.00 लाख, अन्तिम अवशेष की धनराशि रू0 2372.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 18885.00 को स्वीकृति प्रदान की गई।

श्रीमती निर्मला मिश्रा ने मा0 अध्यक्ष महोदया, नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, पत्रकार व छायाकार बन्धुओं के प्रति यथोचित सम्मान प्रकट करते हुये कहा कि मेरा वार्ड सबसे पिछड़ा वार्ड है। मेरे वार्ड में आने–जाने का मात्र एक रास्ता है, जो एल्मिकों से होकर गुजरता है, वह मार्ग अत्यधिक खराब है यदि क्षेत्रीय लोगों को आने–जाने हेतु आई0आई0टी0 के अन्दर से अनुमति दिला दी जाये तो कुछ हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। एलिम्कों से गुजरने वाले मार्ग का शीघ्र निर्माण कराया जाये। मेरे वार्ड में क्षेत्रीय जनता के स्वास्थ्य लाभ एवं बच्चों के खेलने हेतु कोई

विकसित पार्क नही है, जिसके कारण बच्चों को खेलने हेतु आई.आई.टी. जाना पड़ता है और उन्हें वहाँ खेलने नही दिया जाता। मेरे वार्ड में क्षेत्रीय जनता के स्वास्थ्य लाभ व बच्चों हेतु कम से कम एक पार्क विकसित करा दिया जाये ताकि मेरे क्षेत्र की जनता व बच्चों को असुविधाओं का सामना न करना पड़े। स्वच्छ भारत मिशन योजना के अन्तर्गत पूरे कानपुर महानगर में शौचालयों का निर्माण कराया गया किन्तु मेरे वार्ड में एक भी शौचालय का निर्माण नही कराया गया है। अध्यक्ष महोदया मेरे वार्ड में क्षेत्रीय जनता की असुविधाओं को देखते हुये एक शौचालय का भी निर्माण कराया जाये। शौचालय निर्माण हेतु तत्कालीन महापौर रवीन्द्र पाटनी जी से भी शौचालय निर्माण हेतु मेरे द्वारा अनुरोध किया गया था जिस पर तत्कालीन नगर आयुक्त श्री मणि प्रसाद मिश्र ने मुझे शौचालय का निर्माण कराये जाने हेतु आश्वस्त भी किया था।

श्री विकास जायसवाल ने कहा कि पिछले चार–पाँच दिनों से बारिश हो रही है, जिसके कारण मेरे वार्ड क्षेत्र व उसके आस–पास पुराने जर्जर मकान गिर रहे है, अभी तक उन मकानों के गिरने से किसी प्रकार की कोई जान–माल की हानि नही हुई है। हमें गिराऊ भवन की स्थिति देखकर मकान खाली कराये जाने हेतु दबाव बनाना चाहिये, ताकि जान–माल की हानि से बचा जा सके। हम अधिकारियों को बुलाते है तो वह कार्य करते है किन्तु कुछ अधिकारी ऐसे भी है जो कार्य करना ही नही चाहते।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि पुराना गोविन्दपुरी पुल जर्जर हो गया है, फुटपाथ भी टूट गया है, उसकी मरम्मत कराई जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि आपके वार्ड के अन्तर्गत देश का प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई0आई0टी0) स्थित है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में सुरक्षा के दृष्टिगत आम–जनता के आने–जाने की अनुमति नही दी जा सकती। अन्य वैकल्पिक मार्ग का निर्माण/मरम्मत कराई जा सकती है। अपने वार्ड में शौचालय व पार्क के लिये जगह निर्धारित कर दे तो वहाँ पर शौचालय व पार्क का निर्माण कराया जायेगा। सभी पार्षदों की यही माँग है कि क्षेत्र में कार्य कराये जाये। धन की उपलब्धता पर कार्य कराये जाने का प्रयास भी किया जाता है। क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिये कृत संकल्पित हूँ। परिश्रम किया जाता है तो सार्थक परिणाम भी आते है। अतः आप लोगों को भी सुझाव है कि सार्थक प्रयास किये जाये। आप सभी सदस्यों से अपेक्षा है कि अपने–अपने क्षेत्र के गिराऊ भवनों की सूची उपलब्ध करा दें ताकि जल्द से जल्द कार्यवाही कराई जा सके। ऐसी बरसात 10–12 वर्षो बाद हुई है, जिससे क्षेत्रों में भीषण जलभराव हुआ। गिराउ भवन की सूचना पर अधिकारियों को तत्काल निर्देशित किया जाता है। छूटे हुये क्षेत्रों में मार्गप्रकाश की भी व्यवस्था कराई जायेगी। वार्डो में स्वयं जाकर सफाई का कार्य कराया है। अतः आपस में बैठकर सहमत के आधार पर समस्याओं का समाधान भी कराया जायेगा।

<u>प्रस्ताव संख्या–03</u>

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 24.03.2018 की स्थगित बैठक जो दिनांक 29.03.2108 को सम्पन्न हुई, के टेबुल प्रस्ताव सं0 19 जो मा0 सदन को विचारार्थ हेतु अग्रसारित है :–

नगर आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या– 3385/3/प दिनांक– 22.03.2018 को अधिनियम की धारा–148 एवं 221 के अन्तर्गत सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रेषित :–

प्रस्ताव

नगर निगम सीमान्तर्गत भवन एवं सम्पत्तियों पर आरोपित एवं देय सामान्य कर (गृहकर) संग्रहण के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है :–

1. विगत वर्षो की भॉति रू0 1200.00 वार्षिक मूल्य तक की सम्पत्तियों पर गृहकर की दरें वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत एवं रू0 1201.00 एवं इससे अधिक वार्षिक मूल्य तक की सम्पत्तियों पर गृहकर की दरें वार्षिक मूल्य का 15 प्रतिशत होगा।
2. नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित सम्पत्तियों के ऐसे भवन/अध्यासी जिनके द्वारा प्रतिवर्ष नियमित रूप से नगर निगम का गृहकर भुगतान किया जाता है, के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुये तथा नगर निगम के वसूली अभियान में गति लाने तथा ईमानदार कर दाताओं को प्रोत्साहित करने हेतु ऐसे करदाता जिन पर सामान्य कर (गृहकर) के मद में दिनांक–31.03.2017 तक कोई अवशेष न हो, उनको वित्तीय वर्ष 2017–18 में 01 अप्रैल 2018 से 30 जून, 2018 तक चालू मॉग (यदि अवशेष है तो मय बकाया, ब्याज व चालू मॉग सहित एकमुश्त पूर्ण भुगतान करने पर) पर विगत वर्षो की भॉति 10 प्रतिशत की छूट दिये जाने एवं तद्ोपरान्त विशेष परिस्थितियों में नगर आयुक्त को एक–एक माह हेतु (जिसकी अन्तिम सीमा माह नवम्बर, 2018 होगी) इसे बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अधिकृत किया जाना।

श्री हाजी सुहेल ने कहा कि इस प्रस्ताव को अधिनियम की मंशा के अनुरूप भवन स्वामी व अध्यासी दोनो मे से किसी एक से कर की वसूली की जाये।

नगर आयुक्त ने सदस्यों को अवगत कराया कि भारत सरकार द्वारा भुगतान प्रक्रिया में डिजिटाईजेशन की प्रमुखता दी जा रही है, इसमें त्वरित भुगतान के साथ–साथ समय की भी बचत होती है। अतः भवन स्वामियों द्वारा गृहकर का भुगतान (ई–पेमेण्ट) डिजिटल करने पर 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जायेगी।

..... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–04

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 09.07.18 को सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव सं0 50 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचारार्थ हेतु अग्रसारित :–

नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 27.03.18 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव माननीय कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ निम्नवत् प्रस्तुत है :–

माननीय कार्यकारिणी द्वारा दिनांक 30.03.2017 के प्रस्ताव कमांक संख्या 6 को पारित करते हुए खेल नीति के आधार पर अनुबन्ध करने का निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत है :–

नगर निगम के क्रीडा विभाग की आय बढ़ाने एवं शहर में उच्च स्तरीय क्रिकेट प्रशिक्षण व्यवस्था को पालिका स्टेडियम पर राष्ट्रीय स्तर क्रिकेट खिलाड़ियों एवं समय समय पर अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों से क्रिकेट का प्रशिक्षण दिलाकर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के खिलाड़ियों को तैयार करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियम/शर्तो के अधीन एक वर्ष के लिये श्री शशिकान्त खाण्डेकर 11/218, सूटरगंज, कानपुर से अनुबन्ध किये जाने हेतु कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित हैः–

1. प्राधिकारी (प्रथम पक्ष नगर निगम कानपुर) द्वारा पालिका स्टेडियम बृजेन्द्र स्वरूप पार्क आर्य नगर, कानपुर में क्रिकेट नर्सरी को सुचार रूप से चलाने (संचालन) एवं प्रबन्धन तथा क्रिकेट की कोचिंग के लिये द्वितीय पक्ष की सेवायें प्राप्त करेगे।
2. कार्यकारिणी से प्रस्ताव पास होने के उपरान्त व अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष के लिये अनुबन्ध किया जायेगा किन्तु किसी भी पक्ष द्वारा लिखित रूप से एक महीने की पूर्व सूचना देकर बिना कारण बताये इसे समाप्त किया जा सकता है।
3. द्वितीय पक्ष (श्री शशिकान्त खाण्डेकर) पालिका स्टेडियम पर क्रिकेट नर्सरी के नाम से शर्तो के अधीन क्रिकेट नर्सरी चलायेगें। क्रिकेट नर्सरी में बच्चों को केवल क्रिकेट का प्रशिक्षण राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, एन0आई0एस0 , बी0सी0सी0आई0 से प्रशिक्षित क्रिकेट प्रशिक्षकों व प्रदेश स्तर के खिलाड़ियों से प्रशिक्षण दिलाया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा पालिका स्टेडियम बृजेन्द्र स्वरूप पार्क पर क्रिकेट नर्सरी चलाने पर प्रथम पक्ष के क्रीड़ा विभाग में प्रति माह रू0 11713.00 (रू0 ग्यारह हजार सात सौ तेरह मात्र) किराए के रूप में जमा करना होगा। यह धन राशि एक वर्ष हेतु एकमुश्त रूपया 1,40,556.00 (रू0 एक लाख चालीस हजार पॉच सौ छप्पन मात्र) जमा करने होगें तथा पूर्व वर्ष के कार्य को संतोषजनक पाये जाने पर दूसरे वर्ष कार्यकारिणी की अनुमति से क्रिकेट नर्सरी को चलाने के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत की बढोत्तरी के साथ किराया जमा करना होगा एवं कार्यकारिणी की अनुमति पर दूसरे वर्ष के संतोषजनक कार्य पर तीसरे वर्ष क्रिकेट नर्सरी को चलाये जाने पर भी 10 प्रतिशत की बढोत्तरी के साथ किराया जमा करना होगा।
5. द्वितीय पक्ष क्रिकेट नर्सरी चलाने हेतु रू0 25,000/– (रुपया पचीस हजार मात्र) की धनराशि प्रतिभूति स्वरूप प्रथम पक्ष के कोष में मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के नाम ड्राफ्ट के रूप में जमा करेगा जिसकी वापसी क्रिकेट नर्सरी के संतोषजनक संचालन के पश्चात् प्रथम पक्ष के सहायक क्रिकेट प्रशिक्षक द्वारा कार्यकुशलता प्रमाण पत्र पर वापस होगा।
6. यह कि द्वितीय पक्ष को पालिका स्टेडियम पर क्रिकेट नर्सरी चलाने हेतु क्रिकेट नेट प्रातः व सायं काल सहायक क्रिकेट प्रशिक्षक द्वारा शर्तो के अधीन तैयार कर उपलब्ध कराए जायेगें।
7. यह कि प्रथम पक्ष के पार्षदों, अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित बच्चों एवं गरीब बच्चों को प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जायेगा जिसकी सूची क्रीड़ा विभाग द्वारा समय समय पर दी जायेगी।

8. यह कि द्वितीय पक्ष क्रिकेट नर्सरी को सुचार रूप से संचालित करने के लिये नेट, बॉल, स्टम्प इत्यादि स्वयं अपने स्तर से तथा द्वितीय पक्ष यह भी सुनिश्चित करेगा कि खिलाड़ियों के उत्थान तथा उनकी खेल प्रतिभा का सर्वांगीर्ण विकास तथा क्रिकेट खेलने के उन्न्यन एवं संबर्द्धन करने हेतु, सभी प्रकार के हर सम्भव आवश्यक प्रयास सुनिश्चित किये जायेगे।
9. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा पालिका स्टेडियम तथा क्रिकेट खेल से सम्बन्धित नियमों, विनियमों एवं अपेक्षित अनुशासन एवं व्यवस्थाओं को कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के नगर निगम कानपुर पालिका स्टेडियम क्रीड़ा विभाग में कार्यरत सहायक क्रिकेट प्रशिक्षक के निर्देशानुसार कोचिंग/प्रशिक्षण का कार्य संचालित करेगा, और वह प्रथम पक्ष के अधिकारियों/कर्मचारियों के तत्सम्बन्धी कार्यो में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।
11. यह कि क्रिकेट नर्सरी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार प्रथम पक्ष के पालिका स्टेडियम के अन्दर नही किया जायेगा।
12. यह कि अनुशासनहीनता एवं अनियमितता पाये जाने पर नगर आयुक्त द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जायेगा।
13. यह कि उपरोक्त शर्तों का किसी प्रकार का उल्लंघन पाये जाने पर प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष की जमा प्रतिभूति राशि रू0 25,000/–(रुपया पचीस हजार)मात्र को जब्त कर अनुबंध निरस्त कर दे।
14. यह कि उपरोक्त शत्तों से सम्बन्धित किसी विवाद की दशा में नगर आयुक्त, नगर निगम कानपुर को संदर्भित किया जायेगा, और उनका ही निर्णय अंतिम होगा।
15. नगर निगम कानपुर की मा0 कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित क्रिकेट प्रशिक्षण शुल्क ही खिलाड़ियो से प्राप्त किया जायेगा।

श्री मो0 अमीम ने कहा कि कानुपर महानगर में नगर निगम के दो स्टेडियम है, बृजेन्द्र स्वरूप पार्क स्थित पालिका स्टेडियम व किदवई नगर स्थित रतनलाल शर्मा स्टेडियम लेकिन क्रिक्रेट प्रशिक्षण के लिये सिर्फ एक ही स्टेडियम पर विचार किया जा रहा है, जबकि रतनलाल शर्मा स्टेडियम में भी बच्चों को क्रिक्रेट प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ऐसे में एक ही स्टेडियम के संचालन में विचार किये जाने में संदिग्धता प्रतीत होती है। यदि विचार किया जाये तो दोनो पर किया जाये, नही तो इस प्रस्ताव को निरस्त किया जाये।

सभापति ने कहा कि यदि रतनलाल शर्मा स्टेडियम में भी किसी संस्था द्वारा बच्चों को क्रिक्रेट प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव दिया जाता है तो भविष्य में उस पर भी विचार किया जायेगा।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि अध्यक्ष महोदय श्री शशिकान्त खाण्डेकर जी को बहुत कम धनराशि में बच्चों के क्रिकेट प्रशिक्षण देने हेतु स्टेडियम इसलिये दिया जा रहा है कि कानपुर महानगर के बच्चे क्रिकेट के प्रति अपनी रूचि दिखाते हुये देश व प्रदेश में प्रतिभा स्थापित कर सके। जब स्टेडियम दिये जाने हेतु नगर निगम की शर्तो में सभी बातों का उल्लेख किया गया है तो बच्चों के क्रिकेट प्रशिक्षण की फीस का भी निर्धारण नगर निगम द्वारा किया जाये। क्योंकि यह संज्ञान में आया है कि क्रिकेट प्रशिक्षण हेतु बच्चों से अधिक फीस ली जाती है और उन्हें क्रिकेट का सामान भी वहीं से खरीदने हेतु बाध्य किया जाता है।

श्री सौरभ देव ने कहा कि आदरणीय अध्यक्ष महोदया यह बात सच है कि पालिका स्टेडियम हो अथवा कमला क्लब जहाँ क्रिकेट प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें निश्चित रूप से अनियमितितायें की जा रही है। जब भी किसी खिलाड़ी के भविष्य की बात आती है तो वहाँ भी अनियमिततायें चलती है। मैं भी क्रिकेट का खिलाड़ी रह चुका है इसलिये इन सब बातों को भली भाँति जानता हूँ। जब नगर निगम में क्रिकेट प्रशिक्षक है और उन्हें नगर निगम द्वारा दो सहायक भी उपलब्ध कराये गये है व उनके पास क्रिकेट प्रशिक्षण हेतु सभी संसाधन मौजूद है तो प्राइवेट व्यक्ति से कार्य क्यों लिया जाये।

इस पर कई सदस्यों द्वारा क्रीड़ा अधिकारी श्री जफर आलम को हटाने की माँग की गई।

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को श्री जफर आलम के माध्यम से सदन के सदस्यों को स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिये।

निर्देशानुपालन में श्री जफर आलम ने अवगत कराया कि कार्यकारिणी समिति द्वारा ही गठित समिति के द्वारा ही रू0 800/– फीस निर्धारित की गई थी, तद्नुसार शुल्क भी लिया जा रहा है। जिस पर सदन सभागार में शोरगुल प्रारम्भ हो गया।

श्री मो0 अमीम ने कहा कि संस्था द्वारा किट खरीदने को भी बाध्य किया जाता है तथा रू0 1000/– फीस के साथ रू0 500/– प्रवेश शुल्क भी प्रत्येक बच्चे से लिया जाता है। श्री जफर आलम खेल प्रशिक्षक के रूप में रू0 50000/– प्रतिमाह के वेतन पर नगर निगम जब नियुक्त किये है तो अन्य संस्था के प्रशिक्षक की क्या जरूरत है। जफर आलम स्वयं अपनी अकादमी क्यों चला रहे है ? इन्हीं की इच्छा पर श्री शशिकान्त खाण्डेकर को रखा जा रहा है, इसलिये इसके प्रति आशंका है।

अध्यक्ष ने सभी सदस्यों शान्ती बनाये रखने के निर्देश के साथ अपनी–अपनी जगह पर बैठने के लिये कहा साथ ही पूँछा कि क्या जफर आलम को हटाया जाना चाहिये ?

..... प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुये श्री जफर आलम, क्रिकेट प्रशिक्षक पर लगाये गये आरोपों के परीक्षण कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या–05</u>

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 09.07.2018 की स्थगित बैठक जो दिनांक 10.07.2108 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 51 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचारार्थ हेतु अग्रसारित :–

श्री प्रवीण उपाध्याय,उपाध्यक्ष,कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

विषयः– आपके सम्मानित संगठन को मुख्य बैंकिंग सेवाए प्रदान करना।

हम कोटक महिंद्रा बैंक जो कि को भारत के अग्रणी वित्तीय संस्थानों में से एक, आपके सम्मानित संगठन को पूरे वित्तीय समाधान की पेशकश करते हैं जिसमें हर क्षेत्र शामिल हैं। वाणिज्यिक बैंकिंग शेयर ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड, निवेश बैंकिंग, समूह व्यक्तियों, कॉपोरिट समूहों, संस्थानों, केंद्रीय/राज्य सरकार संगठनों और विभागों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता हैं

हम कोटक आपको विशेष रूप से आपके लिए डिजाइन की निम्नलिखित
बैंकिग सुविधाओं का एक हिस्सा प्रदान करते हैं।

- **भौगोलिक टैगिंग के माध्यम से संपत्ति माप और सर्वेक्षण***
- **बचत खाते की ब्याजः दैनिक आधार पर 5.5% प्रति दिन के बाद 1 करोड़ तक दैनिक आधार पर 6% प्रति दिन ब्याज मुहैया कराएंगे**
- **मुफ्त नकद पिकअप और वितरण**
- **निःशुल्क नेट बैंकिग**
- **निशुल्क (RTGS) REAL TIME GROSS SETTLEMENT**
- **MIS-** दैनिक/सप्ताहिक/मासिक वक्तव्य के रूप में आवश्यक एमआईएस समझौते के अनुसार प्रदान किया 5जाएगा। यदि आवश्यक हो तो हम कथन के दैनिक फैक्स /ई–मेल की भी व्यवस्था कर सकते हैं
- **समर्पित रिलेशनशिप मैनेजर :** एक रिलेशनशिप मैनेजर को खाते मे नामित किया जाएगा और आपकी बैंकिंग जरूरतों का ख्याल रखने के लिए नियमित रूप से आपके अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहेगा।

कोटक महिंद्रा बैंक के पास 1400 शाखाओं ओर 2500 एटीम का नेटवर्क है, जो पूरे देश में 700 प्लस स्थानों पर फैले हुए है, जो पूरी तरह से नेटवर्क किए गए है और केंद्रीकृत डेटाबेस से जुड़े हुए है।

हमने " सरकारी व्यवसाय " समूह नामक एक विशेष प्रभाग संस्थागत बनाया है जो सरकारी संगठनों और जिला परिषद/पंचायत समिति, नगर निगमों, केंद्रीय / राज्य सरकार के विभागों/ उपक्रमों और आवास, औद्योगिक और विकास जैसे स्थानीय सरकार को सामान्य बैंकिंग समाधान और सेवाओं को प्रस्तुत करने के अलावा। बैंकिंग समूह सरकारी निकाय, सरकार को सामान्य बैंकिंग समाधान और सेवाओं को प्रस्तुत करने के अलावा । बैकिंग समूह सरकारी व्यापार गतिविधियों जैसे कि केंद्रीय / राज्य के संग्रह में भी शामिल हैं।

भौगोलिक टैगिंग के माध्यम से संपत्ति माप और सर्वेक्षण खाली भूखंडो,भवनों/घरों की कुल संख्या और प्रत्येक भवन /घर के लिए फर्श की संख्या का आंकलन करेगा जो कानपुर,यू0पी0 के नगर पालिका निगम क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

हम इस प्रकार समझौते की प्रति संलग्न कर रहे है जिसे हमने विक्रेता के साथ हस्ताक्षर किया है,यह समझौता उन गतिविधियों के दायरे का विवरण देता है जो संपत्ति टैग माप और जियो टैगिंग के माध्यम से सर्वेक्षण करते समय कवर किये जाएंगे,यदि समझौते में शामिल गतिविधियॉ आपकी आवश्यकता के अनुरूप है,और हम काम शुरू करने के लिये विक्रेता से पूछेंगे।

अंत में,यह आपके बढ़ते व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे विभिन्न बैकिंग उत्पादों को नवाचार और अनुकूलित करने का हमारा निरंतर प्रयास रहा है। इन सेवाओ के साथ हम आपके सभी बैंकिग रिश्तों जैसे संग्रह खाते ,स्मार्ट सिटी अकाउंट,नममी गेंज,स्वैच भारत मिशन अकाउंट,अमृत और पीएमआई के लिए आपका पंसदीदा बैंकर होगे।

हमारी विशेषज्ञता कोटक में ,हमने अपने अनुभव के माध्यम से ,ग्रहक के विभिन्न बैंकिग आवश्यकताओ और निवेश के रास्ते में निवेश सलाहकार के अनुकूलित सभाधान तैयार करने में महत्वपूर्ण विशेषज्ञता प्राप्त की है। इसलिए हमारा प्रयास वित्तीय ग्राहकों की पूरी श्रृंखला के साथ हमारे ग्राहकों को प्रदान करना है।

वास्तव में, आपके संगठन से जुड़े रहने के लिए यह एक बड़ा विशेषाधिकार होगा।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि यह प्राइवेट बैंक है, इससे नगर निगम खातों का संचालन करना अनुचित है, जबकि हमारे पास सरकारी बैंक भी है और ऐसे में प्राइवेट बैंक में नगर निगम खातों को खोलना ठीक नही है।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने मा0 कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि नगर निगम के 63 खाते संचालित है, जिनमें कुछ खातों का संचालन एच0डी0एफ0सी0 बैंक, आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक आदि से भी हो रहा है। जबकि शासन द्वारा बार–बार निर्देशित किया जातां है कि खाते कम किये जाये।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि अनावश्यक रूप से इस चीज को बढ़ाना ठीक नही है।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि चूँकि पूर्व से प्राइवेट बैंक नगर निगम के साथ कार्य कर रहे है और नगर निगम को अधिक ब्याज दे रहे है, तो इन्हें भी अवसर दिया जाना चाहिये।

सभापति ने कहा कि यदि बैंक द्वारा नगर निगम को सारी सुविधायें दी जा रही है, तो उसे खातों का संचालन दिये जाने में कोई आपत्ति नही होनी चाहिये।

श्री हाजी सुहेल ने कहा कि भारत के वित्त नियंत्रक की गाइड लाइन है कि सरकारी लेनदेन सरकारी बैंको से ही किया जाये। प्राइवेट बैंकों में संचालित किये जा रहे खाते तत्काल बन्द कर दिये जाये। ऐसे में जब भारत के वित्त नियंत्रक द्वारा इस प्रकार की गाइड लाइन दी गई है तो क्या इस प्रस्ताव को स्वीकृत करना उचित है। मैं समाजवादी पार्टी की ओर से इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

..... कोटक महिन्द्रा बैंक में नगर निगम खातों के संचालन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–**06**

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 09.07.2018 की स्थगित बैठक जो दिनांक 10.07.2108 को सम्पन्न हुई, के टेबुल प्रस्ताव सं0 71 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचारार्थ हेतु अग्रसारित :–

श्री जितेन्द्र गाँधी कुशवाहा द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर विचार करना :–

प्रस्ताव

दिनांक–30.03.2017 की कार्यकारिणी में एन.जी.ओ. टीचर्स द्वारा अंशकालिक टीचर्स के बराबर वेतन दिये जाने की प्रार्थना की गई थी, प्रस्ताव संख्या–1903 कार्यकारिणी ने परीक्षण के उपरान्त आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, परन्तु आख्या आज तक नही प्रस्तुत की गई है।

कृपया एन.जी.ओ. टीचर्स को अंशकालिक टीचर्स के बराबर वेतन देने की कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृति प्रदान करें।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–**07**

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 09.07.2018 की स्थगित बैठक जो दिनांक 10.07.2108 को सम्पन्न हुई, के टेबुल प्रस्ताव सं0 72 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचारार्थ हेतु अग्रसारित :–

डॉ0 ए0के0सिंह द्वारा प्रस्तुत एवं अपर नगर आयुक्त व नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–

प्रस्ताव

नगर निगम सीमान्तर्गत भवन स्वामी के द्वारा अपने शौक एवं सुरक्षा के तहत श्वानों को पालने हेतु नगर निगम अधिनियम 1959 में लाइसेंस लिये जाने का प्राविधान है। नगर निगम द्वारा लाइसेन्स निर्गत किये जाने के शुल्क के रूप में रू0 06.00 जमा कराया जाता है। उक्त के सम्बन्ध में

अवगत कराना है कि नगर निगम लखनऊ द्वारा सदन की सामान्य बैठक दिनांक 20.10.2012 में श्वानों के लाइसेन्स शुल्क में वृद्धि की गयी है। लखनऊ नगर निगम की भाँति ही नगर निगम, कानपुर में भी श्वान लाइसेन्स दरों में वृद्धि किये जाने हेतु संशोधित प्रस्ताव निम्नवत् प्रस्तुत है :–

विवरण	वर्तमान प्राविधान	संशोधन प्राविधान
बड़े श्वान विदेशी नस्ल/क्रास ब्रीड बड़ा विदेशी	06.00	500.00
छोटे श्वान विदेशी नस्ल/क्रास ब्रीड छोटा विदेशी	06.00	300.00
भारतीय नस्ल के (देशी)/क्रास ब्रीड देशी	06.00	200.00

..... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>प्रस्ताव संख्या–08</u>

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 09.07.2018 की स्थगित बैठक जो दिनांक 10.07.2108 को सम्पन्न हुई, के टेबुल प्रस्ताव सं0 73 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचारार्थ हेतु अग्रसारित :–

अधिशाषी अभियन्ता (प्रोजेक्ट) द्वारा प्रस्तुत व नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–

<u>प्रस्ताव</u>

<u>विषय :– जाजमऊ कानपुर नगर में टेनरी इकाईयों द्वारा जनित औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण के सम्बन्ध में उ0प्र0 जल निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव रू0 1788.94 लाख का वित्त पोषण पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना (रिवाल्विंग फण्ड) से कराये जाने हेतु संस्तुति उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।</u>

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों के क्रम में मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 16.05.2018 को सम्पन्न हुई बैठक में जाजमऊ कानपुर स्थित सी0ई0टी0पी0 एवं उसके कन्वेंस चैनल, राइजिंग मेन तथा पम्पिंग स्टेशनों आदि की मरम्मत हेतु गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम कानपुर को उक्त धनराशि रू0 1788.94 लाख के भुगतान किये जाने हेतु नगर विकास विभाग को निर्देशित किया गया।

उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा पत्र संख्या–2023/नौ–5–2018–202सा/2018 दिनांक–21.06.2018 के माध्यम से नागर निकायों के अधीन सृजित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण एवं संचालन और जीर्णोद्धार हेतु उक्त प्रस्तावित धनराशि को पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(रिवाल्विंग फण्ड) से ब्याज रहित ऋण लिये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदन द्वारा पारित प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु अपेक्षा की गयी है।

उक्त कार्य हेतु रू0 1788.94 लाख के भुगतान नगर निगम के वित्तीय संसाधनों को देखते हुये नगर निगम द्वारा वहन किया जाना सम्भव नही है। अतः शासन द्वारा प्रस्तावित उक्त प्रस्ताव को दृष्टिगत करते हुये जनहित एवं कार्यहित में जाजमऊ, कानपुर स्थित सी0ई0टी0पी0 एवं उसके कन्वेंस चैनल, सीवेज मेन तथा पम्पिंग स्टेशनों आदि की मरम्मत हेतु रू0 1788.94 लाख की धनराशि को पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना (रिवाल्विंग फण्ड) से ब्याज रहित ऋण लिये जाने की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यकारिणी /सदन के समक्ष प्रस्ताव स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

श्री हाजी सुहेल ने कहा कि नमामि गंगे का प्रोजेक्ट जल निगम के अन्तर्गत है। नमामि गंगे को लगभग रूपया सौ करोड़ का भुगतान किया गया है। नमामि गंगे में एक चेम्बर की रिपेयरिंग का 28 लाख रूपया लिया जा रहा है, किन्तु चेम्बर का केबल ढक्कन बदला जा रहा है, उसकी अन्दर से मरम्मत नही की जा रही है। इसकी जाँच कराये जाने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जाये।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि माननीय न्यायालय के आदेशानुपालन में इस कार्य हेतु शासन तथा एन.जी.टी. ने अलग से बजट आवंटित किया है, जिस पर नगर निगम को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जानी है।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि नगर आयुक्त जी कार्यकारिणी समिति की बैठक में जिन विषयों पर चर्चा उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई, उस पर आज तक अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई। सदन के सदस्यों को अवगत कराया जाये।

प्रस्ताव संख्या–09

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 09.07.2018 की स्थगित बैठक जो दिनांक 10.07.2108 को सम्पन्न हुई, के टेबुल प्रस्ताव सं0 74 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचारार्थ हेतु अग्रसारित :–

प्रभारी अधिकारी (शिक्षा) द्वारा प्रस्तुत एवं अपर नगर आयुक्त व नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–

प्रस्ताव

कानपुर नगर निगम द्वारा संचालित निम्नलिखित 05 विद्यालय जिन पर होने वाला समस्त व्यय नगर निगम द्वारा अपने क्षेत्रों से वहन किया जाता है। शासन से कोई अनुदान प्राप्त नही होता है।

1. नगर निगम बालिका विद्यालय काकादेव – (नर्सरी से कक्षा–12 तक)
2. नगर निगम बालिका विद्यालय चुन्नीगंज – (नर्सरी से कक्षा–12 तक)
3. नगर निगम बालिका विद्यालय, किदवई नगर – (कक्षा–6 से कक्षा–12 तक)
4. नगर निगम बालिका विद्यालय जूही (बसन्ती नगर) – (कक्षा–6 से कक्षा–12 तक)
5. नगर निगम गाँधी संगीत महाविद्यालय सिविल लाइन्स – प्रारम्भिक से अलंकार तक

अतः उपरोक्त विद्यालयों में पी0पी0पी0 मॉडल से संचालन कराने हेतु प्रस्ताव मा0 महापौर जी की अनुमति से मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

..... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>प्रस्ताव संख्या–**10**</u>

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 09.07.2018 की स्थगित बैठक जो दिनांक 10.07.2108 को सम्पन्न हुई, के टेबुल प्रस्ताव सं0 75 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचारार्थ हेतु अग्रसारित :–

अधिशाषी अभियन्ता (प्रो0) द्वारा प्रस्तुत एवं मुख्य अभियन्ता, अपर नगर आयुक्त व नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–

अमृत योजनान्तर्गत कानपुर नगर की विभिन्न योजनाओं हेतु निकायांश के रूप में पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण प्राप्त किये जाने हेतु स्वीकृत प्रदान करने के सम्बन्ध में।

<u>प्रस्ताव</u>

अमृत योजना के अन्तर्गत कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

S.No.	SAAP	Project	GO	Sanctioned Amount (5+6+7) in lakhs	Central (33.33%) Share in lakhs	State (36.67%) Share in lakhs	ULB (30%) Share in lakhs	Installments (in lakhs)		
								1st 20%	2nd 40%	3rd 40%
								ULB (30%)	ULB (30%)	ULB (30%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SEWERAGE										
1	2015-16	सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबन्धन–कानपुर	251/2016/2778/नौ–5–2016	2959.37	986.358	1085.201	**887.811**	177.5622	355.1244	355.1244

ह0.....महापौर

		सीवरेज डिस्ट्रक्ट–4 हाउस होल्ड कनेक्शन के सम्बन्ध में।	–62 / 2016 दिनांक–05.09.2016							
2	2015-16	एक्सपेंशन ऑफ सीवर नेटवर्क इन सीवरेज डिस्ट्रिक्ट–4 कानपुर	137 / 2017 / 4057 / नौ–5–2017 –218बजट / 2016 दिनांक–04.12. 2017	6235.71	2078.362	2286.635	**1870.713**	374.1426	748.2852	748.2852
3	2016-17	सीवर नेटवर्क हाउस होल्ड कनेक्शन इन सीवरेज डिस्ट्रिक्ट–3 कानपुर	143 / 2017 / 3913 / नौ–5–2017 –196बजट / 2017 दिनांक 13.12. 2017	11225.18	3741.52	4116.274	**3367.554**	673.5108	1347.022	1347.022
4	2016-17	210 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 बिनगवां कानपुर में आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य।	3136 / (1) नौ–5–2017–311सा / 14ए दिनांक 02.08.2017	440.14	146.6987	161.3993	**132.042**	26.4084	52.8168	52.8168
WATER SUPPLY										
1	2015-16	कानपुर पेयजल पुर्नगठन योजना फॉर ईस्ट सर्विस डिस्ट्रिक्ट	346 / 2016 / 2833 / नौ–5–2016 –173बजट / 2016 दिनांक 08.12. 2016	5007.24	1668.913	1836.155	**1502.172**	300.4344	600.8688	600.8688
2	2015-16	कानपुर पेयजल पुर्नगठन योजना फॉर साउथ सर्विस डिस्ट्रिक्ट	सं0–348 / 2016 / 3011 / नौ–5–2016–190बजट / 2016 दिनांक 08.12.2016	5223.93	1741.136	1915.615	**1567.179**	313.4358	626.8716	626.8716
3	2016-17	गंगा बैराज से भैरवघाट तक कन्वेन्स में बिछायी जाने का कार्य	3136 / (1)नौ–5–2017–311सा / 14ए दिनांक 02.08.2017	902.02	300.6433	330.7707	**270.606**	54.1212	108.2424	108.2424
Total				**31993.59**	**10663.46**	**11732.05**	**9598.077**	**1919.615**	**3839.231**	**3839.231**

उपरोक्त विवरण के अनुसार सीवरेज व पेयजल योजना हेतु स्वीकृत परियोजना की धनराशि का 30 प्रतिशत निकायांश व 33.33 प्रतिशत, क्रेन्द्रांश, 36.67 प्रतिशत राज्यांश है। नगर निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण निकायांश की धनराशि को पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजानान्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में प्राप्त किया जाना है, जिसकी स्वीकृति माननीय कार्यकारिणी / सदन से वाँछित है।

अतः कार्यहित में निकायांश के रूप में पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण प्राप्त किये जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

श्री हाजी सुहेल ने कहा कि अमृत योजना द्वारा जो इम्प्लीमेन्ट किया जा रहा है उसमें जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की डुप्लीकेसी की जा रही है। इसलिये इसकी जाँच कराने के उपरान्त ही इनका भुगतान किया जाये। माननीय योगी–मोदी की मंशा है कि भ्रष्टाचार न हो, इसलिये विरोध कर रहा हूँ। पूर्व में भी शहर की जलापूर्ति हेतु ऋण लिया गया था, परन्तु शहर को जलापूर्ति आज तक नही कराई जा सकी।

नगर आयुक्त ने कहा कि प्रश्नगत कार्य में जो निकाय का अंश है वह नगर निगम का है, केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा अपना अंश दिया जा चुका है। यदि हम अपना निकाय का अंश नही देते है तो हमारी अगली राज्यवित्त आयोग की धनराशि रोक दी जायेगी। जल निगम द्वारा

किसी भी कार्य की डुप्लीकेसी नही की जायेगी, ऐसी स्थिति में कानूनी कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी। वैसे जल निगम के कार्यो की जाँच शासन स्तर पर चल रही है।

..... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>प्रस्ताव संख्या–**11**</u>

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 09.07.2018 की स्थगित बैठक जो दिनांक 10.07.2108 को सम्पन्न हुई, के टेबुल प्रस्ताव सं0 76 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचारार्थ हेतु अग्रसारित :–

अपर नगर आयुक्त व नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

<u>प्रस्ताव</u>

शासन द्वारा समय–समय पर विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से एवं शासन स्तर पर आहूत विभिन्न समीक्षा बैठकों में नगर निगम की आय के संसाधन बढ़ाये जाने के निरन्तर निर्देश किये जा रहे है, उक्त के क्रम में न्यूनतम मासिक किराया दरों के परीक्षण व करों के पुर्ननिर्धारण की कार्यवाही तो अपेक्षित है ही, इसके साथ करेत्तर मदों में भी पुनरीक्षण व नये संसाधन सृजित किया जाना अपेक्षित है। इसी क्रम में कानपुर नगर निगम सम्पत्ति कर नियमावली के सम्पत्तियों के सामान्य कर के पुर्ननिर्धारण व पुनरीक्षण की कार्यवाही युद्ध स्तर पर प्रगति पर है, जिसके अन्तर्गत समस्त जोनो द्वारा सम्पत्तियों के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण करके इसकी डाटा इन्ट्री हितबद्ध पक्ष को नोटिस तामील कराने का कार्य प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण एवं तदोपरान्त प्रत्येक आच्छादित सम्पत्ति के सामान्य कर को अन्तिम रूप से निर्धारित करने का कार्य प्रगति पर है। शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों में यह आदेशित किया गया है कि नगर निगमों द्वारा आय सम्बन्धी आँकड़े प्रेषित करते समय स्टाम्प ड्यूटी की धनराशि को उसमें सम्मिलित न किया जाये। ऐसी स्थिति में नगर निगम आय के मुख्य स्त्रोत सामान्य कर ही होगा, और तद्क्रम में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु अन्य मदों पर भी विचार करना अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। यह भी उल्लेखनीय है कि कानपुर नगर के स्मार्ट सिटी में चयनित हो जाने के पश्चात् नगर निगम के दायित्वों में वृद्धि हुई है, जिसके लिये आय के अतिरिक्त संसाधन का सृजन अत्यन्त आवश्यक है।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि कतिपय नगर निगमों में कर निर्धारण सूची में नाम परिवर्तन के लिये संग्रहित किया जाने वाला नामान्तरण शुल्क एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में विकसित हुआ है, जबकि कानपुर नगर निगम में संग्रहित किये जाने वाला नामान्तरण शुल्क नाममात्र का है व ऐसी स्थिति में इसका पुनरीक्षण आवश्यक है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी प्रस्ताव प्रेषित किया गया था।

अतः नगर निगम आर्थिक हित में वर्तमान में प्रभावी नामान्तरण शुल्क के पुनरीक्षण व एकरूपता के दृष्टिकोण से नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र के प्रारूप व उसके शुल्क के सम्बन्ध में निम्नवत् यथा संशोधित प्रस्ताव विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

ह0.....महापौर

क्र. सं.	वर्तमान में प्रभावी नामान्तरण शुल्क		मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तावित नामान्तरण शुल्क		
	वार्षिक मूल्यांकन	नामान्तरण शुल्क	क्र.सं.	विवरण	
1	रू0 01 से रू0 2000 तक	रू0 200/–	1	विरासतन/उत्तराधिकार विधि समस्त तरीके से किये गये तथा पंजीकृत वसीयत आदि के आधार पर किये जा रहे नामान्तरण का शुल्क	रू0 5000/– (रू0 पॉच हजार)
2	रू0 2001 से रू0 5000 तक	रू0 600/–	2	भवनों के पंजीकृत विलेख/बैनामे, पंजीकृत दान–पत्र के आधार पर नामान्तरण के सम्बन्ध में	जिलाधिकारी सर्किल दरों के आधार पर विक्रय मूल्य व वास्तविक विक्रय मूल्य में जो अधिक हो, का 01 (एक) प्रतिशत
3	रू0 5001 से रू0 10000 तक	रू0 1200/–			
4	रू0 10000 से अधिक	रू0 2000/–			

नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप –

नगर निगम कर निर्धारण सूची में नामान्तरण हेतु आवेदन के लिये संलग्न प्रारूप जो निम्नानुसार है, को अनुमोदित करने व इसका प्रति आवेदन पत्र मूल्य रू0–20.00 मात्र निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

सेवा में,

जोनल अधिकारी जोन–

नगर निगम, कानपुर।

विषय :– भवन के नामान्तरण (दाखिल–खारिज) के सम्बन्ध में।

महोदय,

ह0.....महापौर

प्रार्थी/प्रार्थिनी भवन संख्या.....वार्ड..... के सम्पूर्ण/जुज भाग पर निम्नलिखित कारण से अपना नाम नगर निगम अभिलेखों में दर्ज कराना चाहता/चाहती है। उक्त भवन का अब तक का गृह कर पूरा जमा है (स्व प्रमाणित रसीद की प्रति संलग्न है)। प्रार्थी/प्रार्थिनी उक्त भवन का निर्धारित नामान्तरण शुल्क व विज्ञापन शुल्क, शमन शुल्क (निर्धारित तिथि के उपरान्त) नगर निगम कोष में तत्काल जमा करने का तैयार है।

नामान्तरण का आधार	साक्ष्य
1. दर्ज स्वामी की मृत्यु हो जाने के आधार पर	1. उत्तराधिकारी होने के नामे खानदानी सजरा, शपथ–पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न
2. पंजीकृत विक्रयनामे के आधार पर है	2. रजिस्टर्ड डीड की प्रमाणित प्रति तथा शपथ पत्र संलग्न
3. वसीयत है	3. वसीयत की प्रमाणित प्रति तथा शपथ पत्र संलग्न हो।
4. पारिवारिक समझौते के आधार पर	4. गिफ्ट डीड की प्रमाणित प्रति तथा शपथ पत्र संलग्न हो।
5. न्यायालय के आदेशानुसार के	5. खानदानी सजरे एवं पारिवारिक समझौते की प्रमाणित प्रति।
6. हिब्बानामा के आधार पर	6. न्यायालय के आदेश की प्रमाणित तथा शपथ–पत्र संलग्न हो।

अतः भवन संख्या.....स्थित मोहल्ला..... वार्ड संख्या..... पर उपरोक्त में से किये गये कारण के आधार पर दर्ज नाम ..... को खारिज करके संलग्न अभिलेखों के अनुसार प्रार्थी/प्रार्थिनी ..... का नाम दर्ज किया जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्य प्रार्थी/प्रार्थिनी की जानकारी में बिल्कुल सत्य है इनमें कोई भी तथ्य असत्य नही है और न ही कुछ छिपाया गया है। इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों की सत्यता एवं प्रमाणिकता का उत्तरदायित्व प्रार्थी/प्रार्थिनी का होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार नामान्तरण (दाखिल–खारिज) की कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे प्रार्थी/प्रार्थिनी अपने भवन का गृह कर आदि अपने नाम से जमा कर सके।

ह0.....महापौर

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित नामान्तरण शुल्क को निर्धारित करने व शमन शुल्क, प्रकाशन शुल्क वर्तमान में प्रभावी व्यवस्था के अनुसार ही संगहित करने और उनमें कोई परिवर्तन नही करने व आवेदन पत्र के प्रारूप एवं इसके शुल्क के सम्बन्ध में माननीय कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

श्री महेन्द्र शुक्ल 'दद्दा' ने कहा कि कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत भवनों के नामान्तरण का जो नामान्तरण शुल्क रखा गया है, वह नये मकानों के खीरदने व बेचने वाले नामान्तरण के प्रकरणों पर 1 प्रतिशत निर्धारित किया गया है या सभी नामान्तरण के प्रकरणों पर। अध्यक्ष महोदया यह सुनिश्चित किया जाये कि नये मकानों के खीरदने व बेचने वाले नामान्तरण के प्रकरणों पर ही एक प्रतिशत नामान्तरण शुल्क वसूला जाये पुराने भवनों पर पूर्व की व्यवस्था ही लागू रखी जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि यह नये मकानों के खीरदने व बेचने वाले नामान्तरण के प्रकरणों में रजिस्ट्री के आधार पर एक प्रतिशत नामान्तण शुल्क लिया जायेगा। वसीयत या अन्य पैतृक नामान्तरणों में पूर्व की व्यवस्था ही लागू रहेगी।

..... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>प्रस्ताव संख्या–**12**</u>

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 09.07.2018 की स्थगित बैठक जो दिनांक 10.07.2108 को सम्पन्न हुई, के टेबुल प्रस्ताव सं0 77 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचारार्थ हेतु अग्रसारित :–

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति द्वारा प्रस्तुत व नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–

<u>प्रस्ताव</u>

विषय :– <u>बृजेन्द्र स्वरूप लॉन में स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत इन्डोर स्पोर्ट्स कॉमप्लेक्स एवं अन्य नागरिक सुविधाओं के निर्माण के सम्बन्ध में।</u>

भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संचालित नगर निगम, कानपुर स्मार्ट सिटी योजना के क्रियान्वन के सम्बन्ध में दिनांक 06.07.2018 को मण्डलायुक्त/अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी योजना की बैठक के अन्तर्गत बृजेन्द्र स्वरूप लॉन में इन्डोर स्पोर्ट्स कॉमप्लेक्स एवं अन्य नागरिक सुविधाओं के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है। उक्त के सम्बन्ध में मा0 कार्यकारिणी समिति को अवगत कराना है कि नगर निगम जोन–4 के अन्तर्गत वार्ड–6 में स्थित बृजेन्द्र स्वरूप लॉन की भूमि का क्षेत्रफल 39578.29 वर्ग मीटर पर निर्माण कराये जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है ।

..... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–**13**

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 09.07.2018 की स्थगित बैठक जो दिनांक 10.07.2108 को सम्पन्न हुई, के टेबुल प्रस्ताव सं0 78 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचारार्थ हेतु अग्रसारित :–

मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत व नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–

टेबुल प्रस्ताव

बड़े हर्ष का विषय है कि इण्ट्रीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम (आई0टी0एम0एस0) को कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा धनांक रू0 31.50 करोड़ की लागत से मेसर्स ओनेक्स इलेक्ट्रानिक्स द्वारा स्थापित कराया गया है। ओनेक्स कम्पनी द्वारा इण्ट्रग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम (आई0टी0एम0एस0) का 04 वर्ष का अनुबन्ध भी किया जायेगा, जिसका व्यय उक्त धनराशि में सम्मिलित है। इण्ट्रग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम (आई0टी0एम0एस0) को कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.06.2018 को कानुपर नगर निगम को हस्तगत कर दिया गया है जिसका रख रखाव वर्तमान समय में नगर निगम, कानपुर द्वारा तथा उक्त सिस्टम का संचालन यातायात पुलिस, कानपुर द्वारा किया जा रहा है।

मा0 मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर की अध्यक्षता में दिनांक 05.05.2018 को इण्ट्रग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में निर्देशित किया है कि व्यवस्था के रख–रखाव, संचालन, चालान छापने एवं चालान को पोस्ट करने आदि में दीर्घकालीन पोस्टल चार्ज आदि ऑपरेशनल व्यय भार की व्यवस्था के दृष्टिगत एक औचित्यपूर्ण धनराशि नगर निगम द्वारा मा0 कार्यकारिणी/बोर्ड से स्वीकृत करा ली जाये।

तद्नुक्रम में प्रत्येक चालान के साथ धनांक 100.00 का उपकर सम्मिलित करते हुये चालान के साथ वसूल की गयी धनराशि के साथ ही नगर निगम के उपकर की धनराशि को नगर आयुक्त एवं पुलिस अधीक्षक 'यातायात' के संयुक्त हस्ताक्षर से खोले गये बैंक खाते में संरक्षित किये जाने हेतु प्रस्तावना तैयार की गयी है, यह धनराशि आई0टी0एम0एस0 की व्यवस्था के ऊपर ही खर्च की जायेगी।

तद्नुसार उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु मा0 कार्यकारिणी के समक्ष टेबिल प्रस्ताव स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि नगर निगम के0डी0ए0 व उत्तर प्रदेश शासन की क्या हिस्सेदारी होगी इसे भी स्पष्ट किया जाये।

नगर आयुक्त ने कहा कि निर्धारित व्यवस्था का अनुपालन कराया जायेगा।

..... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–**14**

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 09.07.2018 की स्थगित बैठक जो दिनांक 10.07.2108 को सम्पन्न हुई, के टेबुल प्रस्ताव सं0 79 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचारार्थ हेतु अग्रसारित :–

अपर नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तावित व नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–

टेबुल प्रस्ताव

नगर निगम, कानपुर उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 451, 452(41) व (49) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगर निगम सीमान्तर्गत चलित ई–रिक्शा के विनियमन की उपविधि

1. यह उपविधि नगर निगम सीमान्तर्गत ई–रिक्शा/ई–कार्टस/ई–भार वाहन विनियमितिकरण एवं नियंत्रित करने की उपविधि नगर निगम, कानपुर, 2018 कहलायेगी।
2. यह उपविधि सरकारी गजट, उ0प्र0 में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

3. परिभाषा– इन उपविधियों में अब तक विषय अथवा प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो।

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य नगर निगम अधिनियिम 1959 से है।

(ख) ''नगर निगम'' का तात्पर्य नगर निगम सदन से है।

(ग) ''सीमान्तर्गत'' से तात्पर्य नगर निगम कानपुर की सीमा से है तथा भविष्य में संशोधित सीमायें भी इसमें सम्मिलित मानी जायेगी।

(घ) ''नगर आयुक्त'' का तात्पर्य नगर निगम, कानपुर के नगर आयुक्त से है।

(ड़) ''अनुज्ञप्ति अधिकारी'' से तात्पर्य नगर आयुक्त जिस अधिकारी को अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु नामित करें, जो राजस्व से सम्बन्धित अधिकारी से है।

(च) ''अनुज्ञप्ति ग्रहिता'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो निजी ई–रिक्शा/ई–कार्टस/ई–भार वाहन चलाने की अनुमति प्राप्त किया हो।

(छ) ''अनुज्ञप्ति ग्रहिता'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो ई–रिक्शा किराये पर एक से अधिक ई–रिक्शा चलवाये जाने की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

लाईसेंस की शर्ते एवं नियम :–

कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत अनुज्ञप्ति अधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना कोई ई–रिक्शा सवारी/ई–कार्टस/ई–भार वाहन नही चलाया जा सकता है।

निम्नलिखित दशा में ई–रिक्शा/ई–कार्टस/ई–भार वाहन का अनुज्ञप्ति–पत्र दिया जा सकेगा अथवा नवीनीकरण हो सकेगाः–

1. ई–रिक्शा/ई–कार्टस/ई–भार वाहन सुदृढ़ तथा चालू अवस्था में हो।
2. ई–रिक्शा/ई–कार्टस/ई–भार वाहन चालक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष होगी तथा चालक स्वस्थ हो तथा किसी संक्रामक बीमारी से ग्रस्त न हो, रिक्शा पंजीकरण तथा नवीनीकरण कराते समय चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासन द्वारा स्वीकृत आकार व स्वरूप के अनुरूप हो।
3. ई–रिक्शा/ई–कार्टस/ई–भार वाहन की छतरी पानी रोकने व वस्त्र अथवा अन्य पदार्थ की हो और सवारी सीट के अन्दर कुशन का अस्तर हो अथवा रैक्सीन की बनी हो।
4. ई–रिक्शा/ई–कार्टस/ई–भार वाहन में हेड लाइट, घण्टी और खतरा सूचक लाल बत्ती बीच में पीछे हो।
5. नगर निगम द्वारा अनाधिकृत रूप से पकड़े गये ई–रिक्शा/ई–कार्टस/ई–भार वाहन चालक पर रूपये 2000/– प्रतिदिवस अर्थदण्ड देय होगा तथा 15 दिवस के पश्चात् नगर आयुक्त अथवा अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा ई–रिक्शा स्वामी को सूचना देकर और दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराने के पश्चात् ई–रिक्शा/ई–कार्टस/ई–भार वाहन को नीलाम कर दिया जायेगा। नीलामी अवधि समाप्त होने से पूर्व समस्त व्यय और अवशेष अनुज्ञप्ति शुल्क के देने पर ई–रिक्शा मुक्त करा दिया जायेगा।
6. ई–रिक्शा सवारी नगर निगम द्वारा चिन्हित नामों पर ही चलाने की अनुमति दी जायेगी, यदि प्रतिबन्धित मार्गो पर ई–रिक्शा सवारी चलता पाया गया उसके विरूद्ध अर्थदण्ड ई–रिक्शा/ई–कार्टस/ई–भार वाहन जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
7. समस्त ई–रिक्शा चालकों को सम्भागीय परिवहन विभाग से जारी वाहन को चालक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना।

अनुज्ञप्ति ग्रहिता को निम्नलिखित प्रतिबन्धों का पालन करना आवश्यक होगाः–

1. कोई भी अनुज्ञप्ति ग्रहिता न तो किसी द्रव्य का प्रयोग करेगा न ही किसी ई–रिक्शा में बैठने वाली सवारी को ऐसा करने देगा, किसी भी प्रकार का मद्यपान जिनमें एल्कोहल हो का प्रयोग अथवा सेवन नही करेगा।
2. नगर आयुक्त एवं अनुज्ञप्ति अधिकारी और/या नगर आयुक्त उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को ई–रिक्शा/ई–कार्टस/ई–भार वाहन का लाइसेंस का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
3. अनुज्ञप्ति अधिकारी की स्वीकृति के बिना कोई अनुज्ञप्ति किसी अन्य व्यक्ति अथवा स्थान के नाम से परिवर्तित अथवा हस्तांतरित नही किया जायेगा।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर अथवा उसके द्वारा नामित अनुज्ञप्ति अधिकारी उपविधियों से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति जारी करेगा और वही अनुज्ञप्ति अधिकारी होगा।
5. प्रत्यके अनुज्ञप्ति जो उपविधियों के अधीन स्वीकार किया जायेगा, उसकी अवधि वित्तीय प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च के लिये मान्य होगा। अनुज्ञप्ति प्राप्त करने अथवा नवीनीकरण कराने के लिये प्रार्थना पत्र 31 मई तक अनुज्ञप्ति अधिकारी, नगर निगम, कानपुर के कार्यालय में

आवश्यक रूप से प्रस्तुत करके अनुज्ञप्ति पत्र नियमानुसार प्राप्त करना होगा। निर्धारित अवधि (31 मई से पूर्व 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी) के पश्चात् प्राप्त अनुज्ञप्ति करने नवीनीकरण प्रार्थना–पत्रों पर निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त 20 प्रतिशत शुल्क देय होगा। प्रथम बार इस नई उपविधियों के प्रभावी दिनांक से अगले 02 माह की अन्तिम दिनांक तक 10 प्रतिशत छूट देय होगा। तत्पश्चात् निर्धारित शुल्क पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

6. इन उपविधियों का उल्लंघन कर नगर आयुक्त/नामित अनुज्ञप्ति अधिकारी/कर अधीक्षक लाइसेंस किसी भी अनुज्ञा को निलम्बित/रद्द कर सकता है तथा बिना अनुज्ञा ई–रिक्शा/ई–कार्टस/ई–भार वाहन के संचालक के विरूद्ध विधि कार्यवाही अथवा दण्डित करने हेतु सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही एवं नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 550 (क)(ख) के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत कर सकता है।
7. अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति को निलम्बित अथवा रद्द करने अथवा अन्य इस उपविधि से सम्बन्धित किसी आदेश के विरूद्ध की तिथि से 15 दिन में प्रतिवेदन नगर आयुक्त के नाम प्रेषित किया जा सकता है। जिसमें नगर आयुक्त का निर्णय मान्य होगा। यदि नगर आयुक्त आवश्यक समझे तो प्रकरण बोर्ड को सन्दर्भित किया जा सकता है। जिसमें नगर निगम का निर्णय अन्तिम एवं अन्धनकारी होगा। इस उपविधियों के अन्तर्गत निम्नलिखित शुल्क देय होगा।
   1. निजी ई–रिक्शा सवारी 05 (मय चालक) वार्षिक दर रूपये 800.00।
   2. निजी ई–रिक्शा भार वाहन वार्षिक दर रूपये 800.00।
   3. ई–रिक्शा/भार वाहन चालक लाइसेंस वार्षिक दर रूपये 200.00।
   4. ई–रिक्शा सवारी 05 सीटर (रिक्शा मालिक किराये पर संचालन हेतु) प्रति ई–रिक्शा लाइसेंस वार्षिक दर रूपये 1,000.00।

शास्ति

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 550 के अन्तर्गत द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर निगम, कानपुर बोर्ड यह निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधियों के किसी भी नियमों का उल्लंघन अथवा भंग करने वाले व्यक्ति पर रूपये 1,000.00 (रूपये एक हजार मात्र) का अर्थ दण्ड दिया जा सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो प्रथम अभियोग के सिद्ध होने के पश्चात् रूपये 50.00 प्रति दिवस अतिरिक्त अर्थदण्ड होगा।

नगर आयुक्त ने कहा कि ई–रिक्शा की वजह से शहर का यातायात बाधित होता है। अतः ई–रिक्शा का पंजीयन किया जाना चाहियें। इसी परिप्रेक्ष्य में नियमावली तैयार करवाई गई है, जो कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि ई–रिक्शा का रूप निर्धारण किया जाये।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सर्वप्रथम पंजीयन के माध्यम से ई–रिक्शा की संख्या ज्ञात होगी तद्पोरान्त रूट निर्धारित किया जायेगा तथा अवैध ई–रिक्शा प्रतिबन्धित करते हुये यातायात अराजकता रोकी जायेगी।

..... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–**15**

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 09.07.2018 की स्थगित बैठक जो दिनांक 10.07.2108 को सम्पन्न हुई, के टेबुल प्रस्ताव सं0 80 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचारार्थ हेतु अग्रसारित :–

उद्यान अधिकारी, उद्यान अधीक्षक व पर्यावरण अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत, अपर नगर आयुक्त द्वारा संस्तुत व नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–

प्रस्ताव

मा0 आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर के आदेश संख्या 078/सिविल–2016 दिनांक 08.10.2016 के अनुपालन में पर्यावरण संतुलन के दृष्टिकोण से हरितमय वातावरण स्थापित करने के कार्य एवं इसके नियमित रख–रखाव हेतु विभिन्न स्कूलों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये थे। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिये तथा शहर के सड़कों के बीच डिवाइडर स्पेस के मध्य सौन्दर्यीकरण हेतु आयुक्त महोदय द्वारा शिक्षा विभाग को चार रूट दिये गये जिनकी कुल लम्बाई 7405.55 मीटर है, निर्धारित किये गये चार रूट इस प्रकार है :–

रूट नं0 1 – मनोरमा पैलेस से रामा डेन्टल तक।

रूट नं0 2 – सब्जी मण्डी चौराहा विजय नगर से शनैश्वर मन्दिर आवास विकास के निकट।

रूट नं0 3 – शनैश्वर मन्दिर से नर्मदेश्वर मन्दिर तक ।

रूट नं0 4 – कार्यालय राज्य बीमा निदेशालय से मरियमपुर चौराहे तक ।

उक्त चारो रूटों पर सुरक्षा की दृष्टि से अवस्थापना निधि से 2016–17 के अन्तर्गत 257.42 लाख रूपये से स्वीकृत कराकर कार्य नगर निगम द्वारा पूर्ण करा दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 08.03.2017 द्वारा आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर के निर्देश के क्रम में शिक्षा विभाग द्वारा उक्त चार रूटों पर कुल 62 विद्यालयों को सौन्दर्यीकरण हेतु आवंटित किया गया है जिनसे आवंटित ब्लाक का सौन्दर्यीकरण एवं विकास कराया जाना है। आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर महोदय द्वारा उक्त ब्लाको के विकास हेतु अधिकृत विद्यालय के प्रधानाचार्यो को औपचारिक रूप से पत्र निर्गत किये जाने का निर्देश दिया गया है।

अतः सहमत होने की दशा में उक्त 62 विद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख चिन्हितकृत आवंटित ब्लाक मय लम्बाई सहित मा0 कार्यकारिणी के समक्ष रख–रखाव हेतु गोद दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

..... **तद्नुसार संज्ञान में लिया गया।**

प्रस्ताव संख्या–**16**

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 09.07.2018 की स्थगित बैठक जो दिनांक 10.07.2108 को सम्पन्न हुई, के टेबुल प्रस्ताव सं0 81 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचारार्थ हेतु अग्रसारित :–

प्रायः यह देखा जा रहा है कि शहर में आयोजित भण्डारा आदि कार्यक्रम के दौरान लोगों द्वारा पत्तल, दोना, गिलास आदि सामग्री फुटपाथ/सड़क पर डाल दी जाती है, जिसके कारण गन्दगी फैलती है और शहर की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अतएव इस सम्बन्ध में मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत है कि भविष्य में इस प्रकरण के कार्यक्रम आयोजित करने के पूर्व सम्बन्धित द्वारा नगर निगम (स्वास्थ्य/रबिश विभाग) को सूचना दी जाये तथा रू0 1000/– (एक हजार मात्र) की धनराशि शुल्क के रूप में नगर निगम में जमा की जाये ताकि कार्यक्रम स्थल के आस–पास कन्टेनर रखवाये जा सके।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि अध्यक्ष महोदया भण्डारे आदि की व्यवस्था पर नगर निगम द्वारा भण्डारा स्थल की साफ–सफाई व्यवस्था हेतु शुल्क निर्धारित किये जाने की व्यवस्था पर मैं सहमत नही हूँ। भण्डारा एक प्रकार की चैरिटी है, जिसमें गरीब एवं निचले वर्ग के लोगों के भोजन की व्यवस्था आदि की जाती है, इस प्रकार की व्यवस्थाओं पर नगर निगम द्वारा स्थल की साफ–सफाई के नाम पर शुल्क निर्धारित किया जाना उचित नही है। ऐसे धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में नगर निगम को अपने संसाधनों से साफ–सफाई की व्यवस्था करानी चाहिये। अध्यक्ष महोदया मैं इस प्रस्ताव को निरस्त करने की माँग करता हूँ, जिस पर ज्यादातर पार्षदों ने एकमत होकर प्रस्ताव को निरस्त किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

..... **सर्वसम्मति से प्रस्ताव निरस्त किया गया।**

<u>प्रस्ताव संख्या–17</u>

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 09.07.2018 की स्थगित बैठक जो दिनांक 10.07.2108 को सम्पन्न हुई, के टेबुल प्रस्ताव सं0 82 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचारार्थ हेतु अग्रसारित :–

नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रस्तुत व नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–

<u>मा0 कार्यकारिणी समिति प्रस्ताव</u>

प्रतिबन्धित पालीथीन कैरी बैग्स प्रतिबन्ध के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि नगर निगम सीमा में किसी भी इकाई द्वारा प्रतिबन्धित पालीथीन कैरी बैग का विनिर्माण, आयात, विक्रय या ढुलाई न किया जाये एवं प्रतिबन्धित पालीथीन कैरी बैग्स का विनिर्माण, भण्डारण, परिवहन, आयात, हथालन, क्रय विक्रय को पूर्णतया रोका जाये जिस हेतु नियमित रूप से संवेदनशील स्थलों पर छापेमारी किया जाना आवश्यक होगा।

अतएव इस सम्बन्ध में मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत है कि भविष्य में यदि कोई भी इस कार्य में संलिप्त पाया जाता है। उस पर रूपया 1000/– (एक हजार रूपया) जुर्माना लगाया जाये।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि प्रतिबन्धित पॉलीथीन/कैरी बैग्स के प्रतिबन्ध हेतु फैक्ट्रियों में छापा डाला जाये, जिससे निर्धारित मानक के विपरीत उत्पाद को रोका जा सके।

सभापति ने कहा कि प्रयास किया जाना चाहियें कि नगर निगम कपड़ों के झोले बनवाने हेतु छोटी–छोटी फैक्ट्रियों की इकाईयाँ लगवाये।

..... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–**18**

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 09.07.2018 की स्थगित बैठक जो दिनांक 10.07.2108 को सम्पन्न हुई, के टेबुल प्रस्ताव सं0 83 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचारार्थ हेतु अग्रसारित :–

उद्यान अधिकारी, उद्यान अधीक्षक व पर्यावरण अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत, अपर नगर आयुक्त द्वारा संस्तुत व नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–

माननीय कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ निम्नवत् प्रस्ताव प्रस्तुत है।

प्रस्ताव

उद्यान विभाग कार्यरत आउटसोर्स माली कर्मियों को पारिश्रमिक के रूप में प्रतिदिन 127.00 दिये जाते है जिसके कारण अधिकतर कर्मचारी समय पर कार्य छोड़कर चले जाते है, जिसके कारण कार्य बाधित होता है, जबकि इन्हीं आउटसोर्स माली कर्मियों को लखनऊ नगर निगम द्वारा पारिश्रमिक के रूप में 250.00 रूपये प्रदान किये जाते है (छायाप्रति संलग्न है)। अतः लखनऊ नगर निगम के अनुसार कानपुर नगर निगम में आउटसोर्स माली कर्मियों को पारिश्रमिक दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि उपरोक्तानुसार सभी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगे कर्मियों का पारिश्रमिक भी बढ़ाया जाये।

..... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–**19**

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 09.07.2018 की स्थगित बैठक जो दिनांक 10.07.2108 को सम्पन्न हुई, के टेबुल प्रस्ताव सं0 70 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचारार्थ हेतु अग्रसारित :–

श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला (दद्दा) द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर विचार करना :–

प्रस्ताव

विषय :– नगर निगम के विद्यालयों में नियत वेतन पर कार्यरत अंशकालिक शिक्षिकाओं के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में माननीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को अवगत कराना है कि कानपुर नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों में रू0 10–11 हजार के नियत वेतनमान में शिक्षिकाएं अध्यापन कार्य कर रही है, जबकि लखनऊ नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों की शिक्षक/शिक्षिकाओं का नियत वेतन (संविदा) का निर्धारण कार्यकारिणी समिति के संकल्प संख्या– 137–138 दिनांक–12.06.2014 से रू0 बीस हजार प्रतिमाह दिया जा चुका है और तद्नुसार वेतन भी आहरित किया जा रहा है।

अतः वर्तमान की मंहगाई के दृष्टिगत हाई स्कूल के साथ इण्टरमीडिएट के छात्र/छात्राओं को पढ़ाने वाली शिक्षिकाओं को समान कार्य समान वेतन के आधार पर वेतन दिलाये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

..... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–20

श्री नवीन पंडित, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं 15 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचारार्थ प्रस्तुत :–

प्रस्ताव

विषय :–सभी सफाई कर्मचारियों चयनित,अचयनित,आउट सोसिंग कर्मचारियों को मिला कर,सूची बद्ध कर सभी वार्डो में लगाएं जिससे स्वच्छता अभियान में धार आए।

माननीय महापौर जी व सम्मानित सदन

आपको अवगत कराना है कि सभी वार्डो में जब 30 से 35 हजार जनसंख्या निर्धारित है तो समस्त कर्मचारियों स्थायी चयनित अचयनित आउट सोंसिग कर्मचारियों की सूची बनवा कर सभी वार्डो में बराबर से दे दिए जाएं और जिन वार्डो में सर्विस लेन है उन वार्डो को कुछ ज्यादा कर्मचारी दे दिए जाएं।

जो कम काम करने वाले हस्ट पुष्ट कर्मचारी है उन्होने अपनी सिफारिश करवा कर व पैसा देकर अपनी ड्यूटी अफिसो में व अधिकारियों के बंगले में लगवा रखी है वो काम नहीं करते है वैठे रहते है और स्थायी कर्मचारी वुजुर्ग हो गए है उन वुजुर्ग कर्मचारियों को आफिस व अधिकारियों के बंगले मे लगा दिए जाए और हस्ट पुष्ट चयनित,अचयनित,आउट सोसिंग कर्मचारियो को इन वुजुर्ग कर्मचारियों

की जगह पर लगा दिया जाए। और सभी वार्डो में बराबर से कर्मचारी और दिए जाए जिससे सभी वार्डो में सफाई कार्य सुचारू रूप से चालू हो सके।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि महानगर में सबसे महत्वपूर्ण कार्य सफाई है। नगर निगम महानगर की सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने में असमर्थ है। पिछली सरकार में संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी, जिसका विरोध किये जाने पर उस व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। शासनादेश के अनुसार प्रति दस हजार व्यक्तियों पर 28 सफाई कर्मचारी नियुक्त किये जाने की व्यवस्था है। अतः प्रत्यके वार्ड में आउटसोर्सिंग से माध्यम से कम से कम 10–10 सफाई कर्मचारी नियुक्त कर दिये जाये तो महानगर की सफाई व्यवस्था सुदृढ़ बनाई जा सकती है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी सफाई व्यवस्था पर विशेष जोर दे रहे है। अतः अध्यक्ष महोदया इस पर विचार कर लिया जाये।

अध्यक्ष द्वारा अपरान्ह 2:30 बजे भोजनावकाश हेतु एक घण्टे के लिये बैठक की कार्यवाही स्थगित की गई।

.....

स्थगना अवधि के पश्चात् अपरान्ह 03:30 बजे अध्यक्ष ने बैठक की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ करने के निर्देश दिये।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि प्रत्येक वार्ड में 10–10 अतिरिक्त सफाई कर्मचारी दिये जाये, जिससे सभी पार्षद अपने वार्ड में समुचित रूप से सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करवा सके। इस पर सभी पार्षदों द्वारा 10–10 अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की माँग करते हुये सदन सभागार में शोरगुल प्रारम्भ कर दिया गया।

अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से शान्ति बनाये रखते हुये अपनी–अपनी सीटों पर बैठने के लिये कहा। वर्तमान में किसी पार्षद के वार्ड क्षेत्र में 10 सफाई कर्मचारी है और कुछ के यहाँ 40–50 है। ऐसे में सभी वार्डो में सफाई कर्मचारियों की संख्या लगभग समान कर दी जाये तो कुछ हद तक सफाई की समस्या का समाधान हो जायेगा। नमामि गंगे के अधिकारी जो हमारे मेनहोल के ढक्कन उठाकर ले गये, उन्हें वापस लाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। नमामि गंगे के अधिकारियों के ही कारण आज शहर का यह हाल है। आज सरकारी/अर्द्धसरकारी एवं प्राइवेट कम्पनियों द्वारा पूरे महानगर में जगह–जगह खुदाई की जा रही है, उनके द्वारा किन–किन स्थानों पर खुदाई करने की अनुमति ली गई और कहाँ–कहाँ बिना अनुमति के ही खुदाई की जा रही है, इसके सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता बिना अनुमति के क्षेत्रों में की जाने वाली रोड कटिंग पर सम्बन्धित के विरूद्ध की गई कार्यवाही से अवगत कराया जाये। यदि रोड कटिंग की सड़क को कम्पनी द्वारा मोटरेबुल नही कराया जाता है तो किसकी सिक्यारिटी जब्द की गई ? महानगर में नालों की सफाई फरवरी–मार्च

में ही कराई जाती रही है तो इस वर्ष क्यों नही प्रारम्भ कराई गई ? इसी के कारण पिछले 05–06 दिनों से चल रही बारिश में कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। किन कारणों से अभी तक नालों की सफाई पूर्ण नही कराई जा सकी है, उससे भी सदन को अवगत कराया जाये। महाप्रबन्धक, जलकल द्वारा किसी पार्षद का फोन नही उठाया जाता है, यह स्थिति अत्यधिक आपत्तिजनक है। महाप्रबन्धक यह सुनिश्चित करे की वह प्रत्येक पार्षद को फोन उठाकर उसकी समस्या सुने और उसका प्राथमिकता पर निस्तारण करायें। अध्यक्ष ने नगर आयुक्त से कहा कि हमारे घर में लोग सीधे आते है और अपनी समस्या बताते है। एक महिला ने मुझे फोन किया और बताया कि मेरे क्षेत्र में एक पागल कुत्ता है, उसे पकड़वा दीजिये। मैंने उसी समय पशुचिकित्साधिकारी को फोन करके कुत्ते को पकड़वाने हेतु निर्देशित किया, जिस पर पशुचिकित्साधिकारी द्वारा तत्काल कार्यवाही किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया। दो दिन बाद फिर उस महिला का फोन आया तो उसने कहा कि वह कुत्ता 06–07 लोगों को काट चुका है। मेरे द्वारा दिये गये निर्देशों के बाद भी अधिकारियों द्वारा कार्यवाही न किया जाना अत्यन्त ही खेदजनक/आपत्तिजनक है। इस पर नगर आयुक्त द्वारा कार्यवाही की जाये। ई0ई0एस0एल0 द्वारा एल0ई0डी0 लाईट पूरे शहर में नही लगाई गई है अतः उनसे लाईटें लगवाई जाये। 10–10 अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों को प्रत्येक वार्ड में लगाये जाने की स्थिति स्पष्ट की जाये। सदन के सदस्यों की भावनाओं को मेरे द्वारा नगर आयुक्त के संज्ञान में लाया गया है। अतः सम्बन्धित अधिकारियों से बिन्दुवार जवाब दिलवाया जाये।

नगर आयुक्त ने निर्देशों के क्रम में मुख्य अभियन्ता को तद्नुसार स्थिति स्पष्ट करने हेतु पटल पर बुलाया।

मुख्य अभियन्ता ने माननीय अध्यक्ष महोदया, नगर आयुक्त, अपन नगर आयुक्त, मा0 पार्षदों व पत्रकार/छायाकार बन्धुओं के प्रति यथोचित सम्मान व्यक्त करते हुये कहा कि जिन नालों में मशीनों से सफाई होती है, उनमें अप्रैल से ही लगभग सफाई का कार्य करा दिया गया है। जिन नालों में मानव बल से सफाई कराई जाती है, उसमें मानव बल उपलब्ध कराये जाने हेतु कराई गई निविदा में प्रथम बार में कोई निविदा प्राप्त न होने के कारण उसमें विलम्ब हुआ, जिस कारण अभी भी नालों की सफाई पूरी तरह से नही करायी जा सकी है। इसमें अधिकारियों के स्थानान्तरण का भी प्रभाव पड़ा है। पिछले दिनों से चल रही बारिश के कारण महानगर के नाले भी उफना रहे है। नगर निगम अभियन्त्रण खण्ड द्वारा जहाँ–जहाँ जो भी व्यवस्था कराई जा सकती थी, यथासम्भव कराई गई है। रोड कटिंग में पहले बैंक गारण्टी लेकर रोड कटिंग की अनुमति दी जाती थी। कल हमने रोड कटिंग में अनियमितता करने वाली दो कम्पनियों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराई है। रिलायन्स टेलीकॉम एवं एयरटेल कम्पनी को शासन स्तर से रोड कटिंग निर्धारित की गई है। तद्नुसार इनके द्वारा रोड कटिंग क्षेत्रों में कराई गई है।

श्री रमेश बाजपेई ने मुख्य अभियन्ता से पूँछा कि क्या आप हमारी बातों को गम्भीरता से लेते है और क्या कभी हमारा फोन उठाते है।

श्री अनुज गुप्ता ने भी मुख्य अभियन्ता से पूँछा कि क्या आपके पास शहर के डॉट नालों का कोई नक्शा है ? अधिकारियों से पूछने पर कहा जाता है कि भुगतान न होने के कारण नालो की सफाई नही हुई है, क्या जिम्मेदारी का जवाब है।

मुख्य अभियन्ता ने कहा कि मुझे जो भी कार्य बताये जाते है मैं उन कार्यो को कराने का पूरा प्रयास करता हूँ। डॉट नाला की सफाई सुपर सकर मशीन से कराई जाती है, भुगतान को नाला सफाई से न जोड़ा जाये।

नगर आयुक्त ने कहा कि पार्षदों में किन्हीं कारणों से अत्यधिक आक्रोश है। ज्यादातर पार्षदों की समस्यायें लगभग समान है, विश्वास दिलाता हूँ कि प्राथमिकता पर समाधान कराया जायेगा।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि क्षेत्र में रोड कटिंग करने वाली कम्पनी द्वारा रेस्टोरेशन की कार्यवाही किये जाने का पत्र जब तक क्षेत्रीय पार्षद द्वारा न दिया जाये तब तक सम्बन्धित कम्पनी की बैंक गारण्टी न छोड़ी जाये।

अध्यक्ष ने सदस्यों से पूँछा कि ई0ई0एस0एल0 द्वारा कहा जा रहा है कि सभी लाईटें लगा दी गई है, क्या आप इससे सहमत है ?

इस पर ज्यादातर पार्षदों ने कहा कि इनके द्वारा पूरी लाईटें नही लगाई गई है, जो लाईटें लगाई भी गई है, उनमें स्विच नही लगाये गये है, जिससे लाईटें दिन–रात जलती रहती है और कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। इन लोगों के द्वारा एल.ई.डी. लाईटों में अत्यधिक अनियमितितायें की गई है, उसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जाये। यह लोग पार्षदों का फोन नही उठाते है और कोई शिकायत नही सुनते है। इनके विरूद्ध कार्यवाही की जाये। इस पर सभी पार्षदों द्वारा सम्बन्धित पर कार्यवाही किये जाने हेतु सदन सभागार में शोरगुल प्रारम्भ कर दिया गया।

अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से शान्ति बनाये रखते हुये अपने–अपने स्थान पर बैठन हेतु कहा।

श्री मो0 अमीम ने कहा कि एल.ई.डी. वालो का भुगतान न किया जाये, क्योंकि इनके द्वारा एल.ई.डी. लाईटों को लगाने में हमारे तार व स्विच का प्रयोग किया गया है और क्षेत्र से उतारी गई हमारी पुरानी सोडियम लाईटों को तोड़ा भी गया है। जब तक इसकी जाँच न करा ली जाये, इनका भुगतान न किया जाये।

नगर आयुक्त ने कहा कि एक–एक कार्य पर विस्तृत चर्चा हो जाने दीजिये, शोरगुल से कोई परिणाम नही निकलेगा। मेरा अनुरोध है कि कृपया बैठ जाये। एल0ई0डी0 व्यवस्था पर सभी पार्षदों ने शिकायत की है। मुख्य अभियन्ता यहाँ मौजूद है। नाला सफाई के कार्य को प्रारम्भ करने में विलम्ब हुआ और मेरे प्रयासो से नाला सफाई का कार्य प्रारम्भ कराया गया। मेरे द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि

नालों में पानी की निकासी में जहाँ–जहाँ अवरूद्ध उत्पन्न हो रहा हो, वहाँ पर विशेष रूप से सफाई कराई जाये, जिससे नालों में उनकी क्षमता के अनुसार पानी की निकासी हो सके। आप सभी जानते है कि पिछले 04–05 दिनों से कानपुर महानगर में भारी बारिश हो रही है। मैंने सभी जगह स्वयं जाकर स्थितियों को देखा है और कार्य कराने का प्रयास किया है। मेरे द्वारा अधिकारियों को पूर्व में भी निर्देशित किया जा चुका है कि मा0 पार्षदों का फोन प्राथमिकता पर उठायें और यदि किसी कारण से फोन नही उठा पाते है तो कॉल बैक कर ले। सभी विभागों के अधिकारी यह सुनिश्चित कर ले। सभी जोनल अधिकारी/अधिशाषी अभियन्ता मा0 पार्षदों के साथ बैठक कर देख लें कि उनके क्षेत्रों मे क्या समस्या है, रोड रेस्टोरेशन के सम्बन्ध में पार्षद से पूँछ लिया जाये। जर्जर भवन गिरने में जन हानि हो सकती है इसलिये यदि जर्जर भवन पर कोई विवाद नही है तो क्षेत्रीय पार्षद व लोगों की मद्द से उसे गिरवा दिया जाये। इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन व पुलिस से मेरे द्वारा अनुरोध किया जा चुका है। यदि जर्जर भवन गिरने से कोई जनहानि होगी तो अत्यन्त कष्टदायी व दुखदायी होगा। हम सभी लोग साथ मिलकर कार्य करे।

श्री जितेन्द्र गाँधी ने कहा कि रफाका नाले के किनारे–किनारे अतिक्रमण है, यदि उसे हटा दिया जाये तो नाले की सफाई समुचित ढंग से हो सकेगी और नाले से पानी की निकासी भी सुचारू रूप से होगी।

नगर आयुक्त ने अधिशाषी अभियन्ता जोन–6 को सम्बन्धित नाले का निरीक्षण कर तत्काल अतिक्रमण हटवाकर नाला सफाई कराये जाने हेतु निर्देशित किया।

नगर आयुक्त के निर्देश पर श्री आर0के0 पाल, पर्यावरण अभियन्ता (प्रभारी मार्गप्रकाश) ने बताया कि ई0ई0एस0एल0 के द्वारा नगर निगम सीमान्तर्गत 91937 लाईटें लगाई गई है, जबकि नगर निगम द्वारा सर्वे में 11000 लाईटें कम पाई गई है। मेरी शिकायत पर ई0ई0एस0एल0 ने 03–04 कर्मचारियों को हटा भी दिया है।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि ई0ई0एस0एल0 कर्मियों को जब फोन पर लाईट खराब होने की जानकारी दी जाती है तो इनके द्वारा यह नही बताया जाता है कि लाईट किस कारण से खराब है और हम लाईट चालू नही करवा पा रहे है, और यह हमारा फोन ही नही उठाते है। इस पर सभी सदस्यों द्वारा सदन सभागार में ई0ई0एस0एल0 के क्षेत्रीय अभियन्ताओं को हटाये जाने के सम्बन्ध में शोरगुल प्रारम्भ हो गया।

अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से अपनी–अपनी जगह पर बैठने हेतु कहा और अधिकारियों से पूछा कि शहर में हमारे कितने पार्क ऐसे है, जिनमें अवैध कब्जे है और उन कब्जों के कितने दिनों में हटवा दिया जायेगा इससे सदन के सदस्यों को अवगत कराया जाये। ऐसे शहर में कितने पार्क है, जिनमें लोग जबरन शादी करते है ? पार्क के सूखे पेड़ो को हटाते हुये पेड़ो की छटाई व वृहद वृक्षारोपण कराया जाये।

शहर में नगर निगम के कितने बारातघर/बारातशालायें है, उनकी चाभी जिसके पास है वह जिसको चाहेंगे रखेंगे, जिसको चाहेंगे नही रखेंगे। अब से क्षेत्र की बारातशालाओं के रख–रखाव का कार्य क्षेत्रीय पार्षद की देख–रेख में होगा तथा आवंटन हेतु नियमानुसार नगर निगम में शुल्क जमा करवाया जायेगा। हमारे जितने सम्मानित पार्षद बैठे है वह स्वयं लिखित दे कि उनके क्षेत्र में कहाँ–कहाँ चट्टा चल रहा है ? बरसात रूकने पर नाला/नाली के ऊपर का अतिक्रमण मैं स्वयं खड़ी होकर तुड़वाऊँगी, इसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। प्रत्येक पार्षद के वार्ड क्षेत्र में 05–05 अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। सभी पार्षद यह सूची बनाकर मुझे उपलब्ध करायें कि उनके वार्ड में कितनी नई दुकानें, अन्डरग्राउण्ड पार्किंग स्थल बने है। साथ ही नगर निगम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि एक वर्ष की कार्ययोजना तैयार कर तद्नुसार कार्य कराये जाये।

प्रस्ताव संख्या–21

श्री यशपाल सिंह ,पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचारार्थ प्रस्तुत :–

प्रस्ताव

संज्ञान में लाने का कष्ट करे कि कानपुर नगर निगम में कितने सफाई नायक वर्तमान समय में कार्यरत है तथा उनकी वार्डो में तैनाती कब से है ?

प्रस्ताव संख्या–22

श्री यशपाल सिंह ,पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचारार्थ प्रस्तुत :–

प्रस्ताव

संज्ञान में लाने का कष्ट करे कि वार्ड संख्या 78 में कुल कितने पार्क कानपुर नगर निगम के अर्न्तगत है और उनके रख–रखाव में कितने माली लगे हुए है ?

प्रस्ताव संख्या–23

श्री यशपाल सिंह ,पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचारार्थ प्रस्तुत :–

प्रस्ताव

संज्ञान में लाने का कष्ट करे कि वार्ड संख्या–78 में कुल कितने हैण्ड पम्प ठीक है। जो हैण्ड पम्प ठीक नही है उनके सुधार की क्या व्यवस्था है और कब तक वे सुचारू रूप से काम करने लगेंगे ?

अध्यक्ष ने प्रस्ताव संख्या– 21, 22 व 23 के सम्बन्ध में सदस्यों को निर्देशित किया कि इसप्रकार की सूचना प्राप्त करने सम्बन्धी पत्रों को कार्यकारिणी समिति/सदन में न प्रस्तुत कर सीधे सम्बन्धित विभाग से जानकारी माँगी जाये। चूँकि नीति निर्धारण के लिये बैठकें आहूत की जाती है। अतः इसप्रकार बैठकों का अमूल्य समय नष्ट न किया जाये, भविष्य में इसका ध्यान रखा जायेगा, ऐसी अपेक्षा करती हूँ।

प्रस्ताव संख्या–24

श्री नवीन पंडित, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एंव 09 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचारार्थ प्रस्तुत :–

प्रस्ताव

विषय :–आवारा जानवरो के हेतु गांधी स्मारक के पीछे कान्हा उपवन बनाए जाने के संदर्भ में।

कानपुर महानगर में जानवरों की भरमार लगी है लोग गायों को दूह कर छोड़ देते है जो दूध देने बंद कर देती है उन्हें छोड़ देते है जो कांजी हाउस दर्शन पुरवा में बना है वो मात्र एक कमरे का है जिसमे सुअर और गायों दोनों को बांध दिया जाता है जगह नहीं है।

अतः मेरी मांग है कि गांधी स्मारक इंटर कालेज के पीछे बहुत बड़ा मैदान है जहॉ लोग कब्जा कर रहे है कूड़े का ढेर लगा है स्कूल वालों ने बाउन्ड्री करा कर पीछे खुली जगह छोड़ दी है जो कि काफी एकड़ होगा मैं कान्हा उपवन या श्री रतन शुक्ल इण्टर कालेज परम पुरवा के पीछे बनवा दिया जए जिससे शहरवासियों को आवरा जानवरों से राहत मिल सके और एक कान्हा उपवन नगर निगम की उपलब्धियों में शामिल हो सके।

..... **अन्य योजना प्रस्तावित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–25

श्रीमती राधा देवी, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एंव 04 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचारार्थ प्रस्तुत :–

प्रस्ताव

विषय :–स्लाटर हाउस गड़रियन पुरवा की वेकार पड़ी जमीन पर कामर्शियल मार्केट वनवाने के सम्बन्ध में।

विनम्र निवेदन है कि गड़रियन फजलगंज मे केसा के पास सलाटर हाउस की काफी बड़ी जमीन पड़ी है जो पिछले 5 वर्षो से शासन से वन्द करा दिया गया है इस स्थान यदि नगर निगम द्वारा कामर्शियल मार्केट वनवा दी जाय। तो नगर निगम की काफी आमदनी होगी इसे वनबाने की कृपा करें। आपकी महान दया होगीं।

..... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–26

श्री गिरीश चन्द्र, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एंव 04 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचारार्थ प्रस्तुत :–

प्रस्ताव

सविनय निवेदन है कि जोन–5 के वार्ड–07 निराला नगर में निम्न स्थानों पर जनहित में दुकान निर्माण करवानें का कष्ट करें ताकि नगर निगम का आय बढ़ सके एवं कब्जा से वची रहे।

1– नगर निगम पानी की टंकी (जल–कल) दीप टाकीज की रोड पर 10 दुकान 10'X9'

2– सचान गेस्ट हाउस नहर पुल से दीप टाकीज तिराहे तक लगभग 50 दुकान 10'X9'

..... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–27

श्री जितेन्द्र गांधी , पार्षद द्वारा प्रस्तुत एंव 02 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचारार्थ प्रस्तुत :–

प्रस्ताव

वार्ड 15 जोन 4 के अर्न्तगत बकरमण्डी स्थित स्लॉटर हाउस , जो बन्द पड़ा है तथा निष्प्रयोज्य है, में पी0पी0पी0 माडल पर मॉल या शाप बनाया जाये। इससे नगर निगम परिसम्पत्ति को अवैध कब्जे से बचाते हुये नगर निगम की आय में बृद्वि के साथ–साथ पर्यावरण भी संरक्षित/सुरक्षित रखा जा सकेगा।

तद्नुसार प्रस्ताव सदन को स्वीकृतार्थ प्रस्तुत हैं।

..... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–28

श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला, पार्षद उप नेता सदन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचारार्थ प्रस्तुत :–

प्रस्ताव

कृपया कानपुर नगर निगम कर्मचारी संघ के संलग्न पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संघ ने अपने पत्र में अवगत कराया है कि मार्ग प्रकाश विभाग के स्थाई कर्मचारी के अवकाश पर जाने में प्रकाश बिन्दुओं के जलाने बुझाने में इन एवजदार कर्मचारियों की सेवा ली जा रही है। बताया गया कि 15–20 वर्षो से एवजदार कर्मी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की भॉति 30 दिन मार्ग प्रकाश विभाग में कार्य करते है, परन्तु वेतन 15 दिन का दिया जाता है। इनको अतिरिक्त कोई लाभ या सुविधा नहीं दिया जाता हैं। कानपुर नगर निगम में पूर्व में एवजदारों को रिक्त स्विचमैन के पदों पर स्वीकृत वरिश्ठता सूची से नियमित वेतनमान पर नियुक्त किया जाता रहा है। इसी परिपेक्ष्य में वर्ष 2006 तक स्विचमैन के रिक्त पदों पर 65 एवजदार कर्मचारियों को नियमित किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों को उद्घृत करते हुए नगर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार का मार्ग दर्शन स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया।

अतः आपसे अनुरोध है कि मानवीय दृष्टिकोण के सापेक्ष जनहित में नगर निगम मार्ग प्रकाश विभाग के एवजदार कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी मानते हुए आगामी सदन/कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित कर विनियमतीकरण हेतु शासन भेजने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

विषयः– कानपुर नगर निगम के अन्तर्गत मार्ग प्रकाश विभाग में विगत् 15–20 वर्षों से कार्यरत एवजदारों (दै0 वे0) के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में संज्ञान में लाना है कि कानपुर नगर 110 वार्डो में विभाजित है। 01 लाईनमैन के साथ सीढ़ी उठाने एवं स्विच ऑन–आफ करने के लिये 03 कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। मार्ग प्रकाश विभाग आवश्यक सेवाओं के अर्न्तगत आता है व जब स्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारियों से अस्थायी रूप से कार्य लिया जाता रहा है, उपरोक्त कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की भांति ही कार्य करते रहे है, व स्थानीय प्रशासन द्वारा उक्त कर्मचारियों को कोई अतिरक्त लाभ व सुविधा नहीं दी गयी है । परन्तु स्थानीय प्रशासन द्वारा पूर्व से ही उक्त कर्मचारियों को एवजदार उल्लिखित किया गया है।

यहॉ यह भी अवगत कराना है कि वर्तमान में 144 लाइनमैन/स्विचमैन के रिक्त पद है। नगर निगम, कानपुर में सदैव से ही एएवजदारों को रिक्त स्विचमैन के पदों पर नियमित वेतनमान पर नियुक्ति किया जाता रहा है व अन्तिम बार वर्ष 2006 में नगर आयुक्त महोदय द्वारा एवजदारों की स्वीकृत सूची में स्विचमैनों के पद पर नियुक्ति की गई। वर्तमान में शहर सीमा का वृहद विस्तार हो चुकी है,

जिसके सापेक्ष वर्तमान में कर्मचारियों की सख्या कम है, को दृष्टिगत संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन सं0–1404/नव–7–15–47(के)/20015 दिनांक 21 सितम्बर 2016 में एवजदारों को नियमितकरण करने हेतु नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 170/2016–17/क दिनांक 14.12.2016 पत्र संख्या–185/2017–18 दिनांक 13.09.2017 एवं 236/2017–18/क दिनांक 19.12.2017 के द्वारा एवजदारों को नियमित नियुक्ति के परिपेक्ष्य में मार्ग दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः शासनादेश संख्या 9/2016/वे0ओ0–2–201/दा–2016–8 (मु0स0स0)/2011, टी0सी0 दिनांक 24 फरवरी 2016 में प्रदेश के राजकीय विभागों स्वायतशाषी संस्थाओं, सार्वजननिक उपक्रमों, नियमों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों एवं जिला पंचायतों में दिनांक 31.12.2001 तक नियुक्त दैनिक वेतन/वर्कचार्ज एवं संविदा के कार्मिकों का विनियमितीकरण किया गया है, किन्तु शासनादेश में एवजदार शब्द का उल्लेख न होने के कारण दैनिक वेतन भागी की भांति कार्य कर रहे एवजदारों को उक्त शासनादेश का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अस्तु कानपुर मार्ग प्रकाश विभाग के एवजदार कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी मानते हुये विनयमितीकरण किये जाने का आदेश प्रदान करने का कष्ट करें।

..... नगर आयुक्त को उत्तर प्रदेश शासन को पत्र भेजने एवं तद्नुसार प्राप्त निर्देशों के क्रम में कार्यवाही कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष ने आज शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई सदन की बैठक हेतु सभी पार्षदों को धन्यवाद् देते हुये उनसे आज दिनांक–01.08.2018 को सम्पन्न हुई सदन की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु अपना–अपना अभिमत व्यक्त करने हेतु कहा।

..... सभी सदस्यों द्वारा आज दिनांक–01.08.2018 को पूर्वान्ह 11:00 बजे नगर निगम मुख्यालय, मोतीझील स्थित सभागार में सम्पन्न हुई सदन की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

राष्ट्रगान के पश्चात् बैठक की कार्यवाही का समापन हुआ।

ह0.....
(प्रमिला पाण्डेय)
महापौर/अध्यक्ष